आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

जुलाई 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

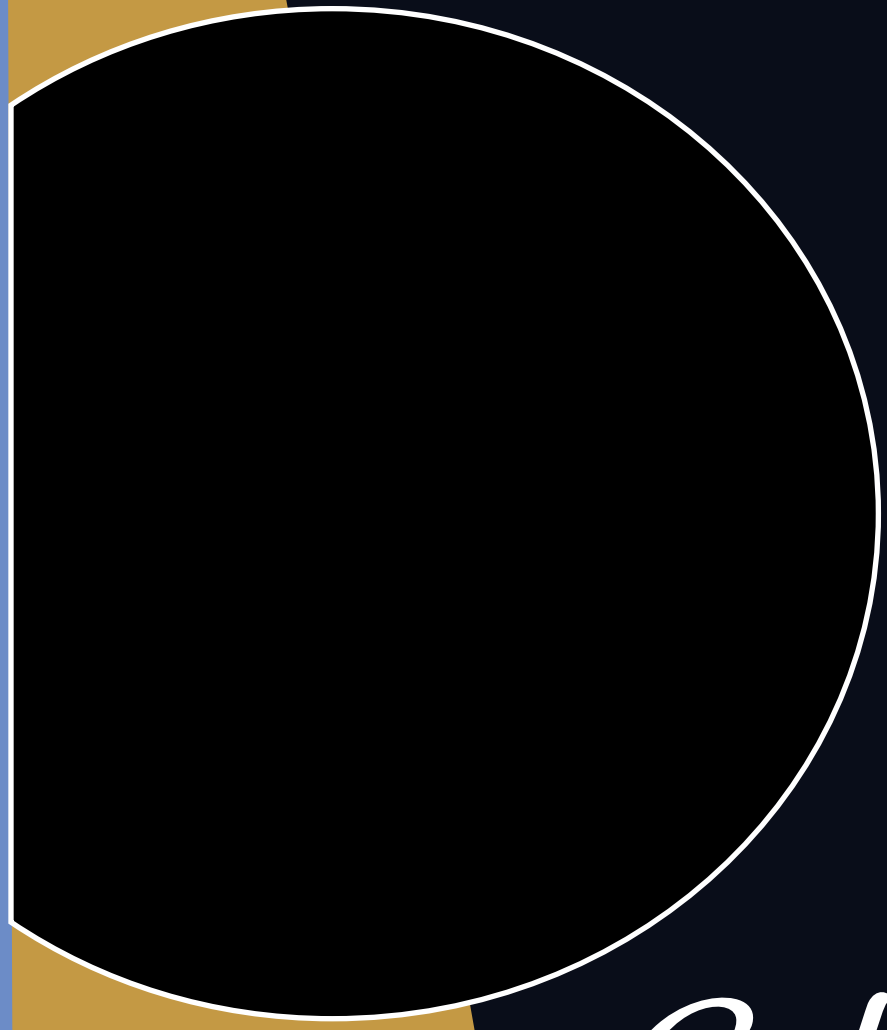


"जनसंख्या विस्फोट"

त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और निराधार आशंकाएं

अतः सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है
जो आकाशों का रब और धरती का रब,
सारे संसार का रब है।
आकाशों और धरती में बड़ाई उसी के लिए
है, और वही प्रभुत्वशाली, अत्यन्त
तत्वदर्शी है।

(क़ुरआन, 45:36, 37)



with best
compliment
from

Golden
Garrage, Goa

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 33 अंक 01 जुलाई 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
ख़तरे की घंटी या स्वागतयोग्य संभावना ?
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
एकेश्वरवाद के तीन संकेत चिन्ह
एस. अमीनुल हसन

सौंदर्य बोध 11
सोशल मीडिया और चिंतन का मनोविज्ञान
तबाना नूरी

मुख्य स्तंभ 13
त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और निराधार आशंकाएं
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 17
मानव संसाधन को पूंजी में बदलने का स्वर्णिम अवसर
डॉ. नीरज कौशल

समाधान 19
वास्तविकता से अनभिज्ञता क्यों?
संपादन प्रभाग

कविता 23
मनुष्यता का रिपोर्टर
कृष्ण कल्पित

समसामयिक 25
विधि आयोग का कुतर्क
जितेंद्र गौतम

समीक्षा 27
हक़ीक़त को बयां करने वाली "अफ़वाह"
डॉ. प्रदीप कुमार

विशेष आयोजन 29
पशु-बलि : दुनिया की सार्वभौमिक परम्पराओं में से एक
डॉ. अब्दुल रशीद अगवान

प्रकाश स्तंभ 34
हज का महत्व और इसका संदेश
नईम अल-हिन्दी

मंथन 36
बीमार है लोकतंत्र की मां
संपादन प्रभाग

सेहत 42
सांसों के फूलने को न करें नज़रअंदाज़
संपादन प्रभाग

करियर 44
अदरक : मुनाफ़े की खेती
संपादन प्रभाग

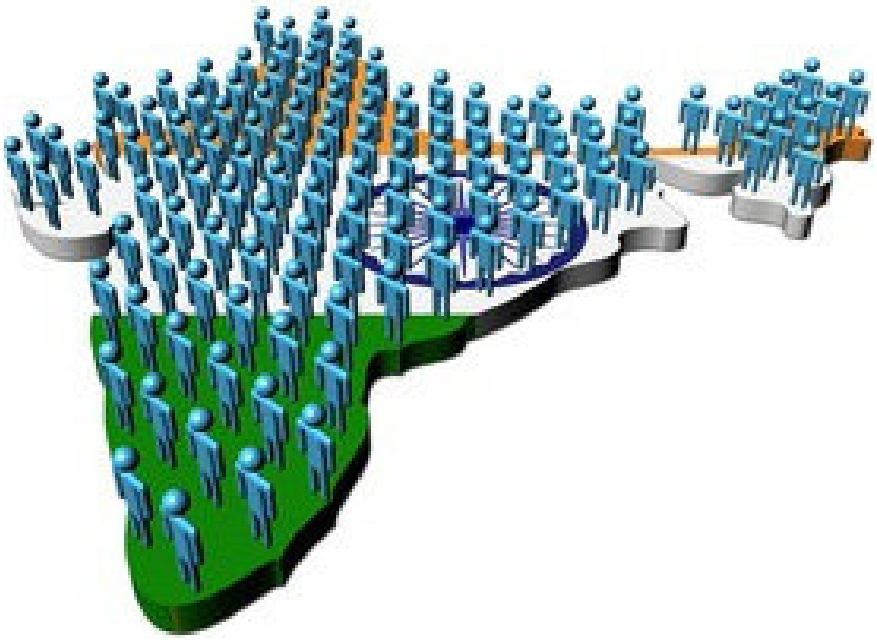
कहानी 46
शरणागत
वृंदावनलाल वर्मा

आख़िरी पन्ना 50
महान उपहार
संपादन प्रभाग

मूल प्रश्न



शिब्ली अरसलान



ख़तरे की घंटी या स्वागतयोग्य संभावना ?

हर वर्ष 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की सिफ़ारिश की रोशनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 'विश्व जनसंख्या दिवस' मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये दिन जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के महत्व और अत्यावश्यकता (urgency) पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। हालांकि इस दिन के मनाने के पीछे बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को लेकर अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपजी निराधार चिंताएं हैं, परंतु ये दिन जनसंख्या पर भिन्न दृष्टिकोण को जानने, समझने और सही दिशा में विश्लेषण करने का अवसर भी प्रदान करता है।

गत दिनों, भारत का चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की ख़बर चर्चा के केंद्र में रही। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के हवाले से ये ख़बर आई कि भारत की आबादी बढ़कर 142.86 करोड़ हो गई है और वह चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। स्पष्ट रहे कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व जनसंख्या 'डैशबोर्ड' (मंच) के अनुसार, चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। यानी भारत की आबादी चीन से 29 लाख अधिक हो गयी है। इस ख़बर के आते ही अपेक्षा के बिल्कुल अनुरूप हमारे यहां 'हाय-तौबा' का बाज़ार गर्म हो गया। ''जनसंख्या-विस्फोट'' का रोना-गाना शुरू हो गया। सांप्रदायिक ऐनक वाले भी अपने मतलब का 'नुक्ता' निकाल कर शोर मचाने लगे। कान्ति मासिक ने इस विषय को पॉपुलर दृष्टिकोण से हट कर देखने और गंभीर विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इस विषय पर वैज्ञानिक विश्लेषण और सारगर्भित आलेख **''मुख्य स्तंभ''**, अभिमत और समाधान कॉलम के तहत शामिल किये जा रहे हैं।

जनसंख्या वास्तव में संसाधन होती है, ये मानव समाज के लिए पूंजी है, ये किसी राष्ट्र या समाज पर निर्भर करता है कि वो आबादी का सही इस्तेमाल करता या बर्बाद करता है। आधुनिकतावादी जिस ग़लत और 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' का बखान करते हैं, उसके अनुसार इस दुनिया में पैदा होने वाला एक बच्चा महज़ खाने वाला एक मुंह और भरने वाला एक पेट है, यानी जितने लोग हैं, उतने लोगों का पेट भरना होगा। हालांकि नवाचार रचने वाला दिमाग़, उत्पादन करने वाला हाथ, सृजन करने वाली प्रतिभा आदि भी आबादी ही के साथ दुनिया के पटल पर आते हैं। यही कारण है कि किसी देश की आबादी बढ़ने का सीधा फ़ायदा ये होता है कि उस देश की इकोनोमी की साइज़ भी बढ़ जाती है। आबादी के बल पर बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का सबसे अच्छा उदाहरण ख़ुद हमारा देश है जिसकी जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है और दुनिया के टॉप-5 बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनी जा रही है। ये कैसे होता है? इसकी साधारण समझ ये है कि जब आबादी बढ़ती है तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है और इस

तरह जीडीपी बढ़ती है।

आज भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है तो उसका मुख्य कारण हमारा घरेलू डिमांड है, सवा अरब की आबादी की डिमांड ने भारत को अर्थव्यवस्था में एक बड़ा मक़ाम दिलाया है। पिछले दो तीन दशक की आर्थिक प्रगति में हमारी कथित समस्या 'जनसंख्या' का बड़ा योगदान रहा है।

मगर कैसी विडंबना है कि वही सरकार और सरकार से उपकृत मीडिया और बुद्धिजीवी इंसानी आबादी को संभावनाओं से पूर्ण 'ह्यूमन रिसोर्स' समझने के बजाए एक बोझ समझ कर



क़ुबूल करती है, ये है वास्तविक समस्या।

पश्चिम में फेमिनिज्म की शुरुआत ह्यूमन रिसोर्स की कमी को पूरा करने के लिए ही हुई थी। औद्योगिक क्रांति के बाद बाज़ार को सस्ता लेबर चाहिए था, बाज़ार में लेबर की कमी न हो इसके लिए महिला सशक्तिकरण का नारा दिया गया और महिलाओं की बड़ी तादाद को घर से बाहर निकल कर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, बाद में फेमिनिज्म में बहुत-सी चीज़ें जुड़ गयीं। नये स्लोगन और कैप्शन तैयार कर लिए गए।

अमेरिका में ग़ुलामी प्रथा ख़त्म करने का मुख्य कारण भी लेबर अर्थात् ह्युमन रिसोर्स की कमी को पूरा करना था, उत्तरी क्षेत्र के उद्योग को लेबर की ज़रूरत थी जो दक्षिणी क्षेत्र के खेतों में काम कर रहे ग़ुलामों से पूरी हो सकती थी, इसलिए ग़ुलामी प्रथा ख़त्म कर दी गयी और इस तरह बाज़ार में लेबर की कमी ख़त्म हुई। जनसंख्या वृद्धि के घोर आलोचक ये कहते फिरते हैं कि बढ़ती जनसंख्या ग़रीबी का कारण बनती है, लेकिन पिछली एक सदी के मानव इतिहास के अध्ययन से हम ये जान सकते हैं कि जितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है उससे अधिक मानव समाज ने आर्थिक प्रगति की है। संगठित व्यवस्थागत सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता के बावजूद लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है।

वास्तविकता ये है कि हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि कोई समस्या नहीं है, अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था बड़ी समस्या है, संसाधन का अन्यायपूर्ण बंटवारा अस्ल समस्या है। समाज में भारी असमानता है। अमीरी और ग़रीबी के बीच विकराल खाई है। वास्तविक समस्या से ध्यान भटकाने के लिए जनसंख्या को समस्या बताने लगते हैं।

यदि दौलत का न्यायपूर्ण वितरण हो और आर्थिक समृद्धि का प्रोग्राम समस्त जनता तक लेकर पहुंचा जाए तो जनसंख्या वृद्धि के साथ ग़रीबी के डर की मानसिकता से छुटकारा संभव है और तब जनसंख्या वृद्धि अभिशाप नहीं वरदान बन सकती है। इसलिए क़ुरआन कहता है-

"और निर्धनता के डर से अपनी सन्तान की हत्या न करो, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी।" (सूरह अल-अनाम)



"जिन लोगों ने इन्कार किया
और अल्लाह के रास्ते से
रोका, अल्लाह ने उनके कर्मों
को अकारथ कर दिया, और
जो लोग ईमान लाए और
जिन्होंने अच्छे कर्म किए और
उस चीज़ को मान लिया जो
मुहम्मद पर अवतरित हुई है-
और है वह सर्वथा सत्य उनके
रब की ओर से-अल्लाह ने
उनकी बुराइयां उनसे दूर कर
दीं और उनका हाल ठीक
कर दिया।"
(क़ुरआन, 47:1-2)

with best compliment from
Oral Dental Hospital
[Hyderabad]

चिंतन



एस. अमीनुल हसन

एकेश्वरवाद के तीन संकेत चिन्ह

विकासवाद के समर्थक आज तक यह बता पाने में असमर्थ हैं कि वह पहली मानव कोशिका या वह पदार्थ कहां से आया जिसकी क्रमागत उन्नति के परिणामस्वरूप यह मौजूदा जगत और इन्सान अस्तित्व में आया?

इन्सान इस दुनिया में जब से आया है, एक बुनियादी सवाल उसके मन है कि मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा पैदा करने वाला कौन है? मरने के बाद मैं कहां जाने वाला हूं। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिस पर इन्सान लंबे समय से चिंतन मनन करता रहा है। इसका सही जवाब पा लेने पर ज़िन्दगी कामयाब है या नाकाम है, बताया जा सकता है। इससे विश्वदृष्टि विकसित होती है। यानी मनुष्य, जगत और ईश्वर के बीच क्या संबंध है, मनुष्य जब इसे समझता है तो उसके अनुसार उसका जीवन ढलता है।

एक विचार यह है कि मनुष्य स्वतंत्र है, अपनी मर्ज़ी का मालिक है। उसका कोई बनाने वाला नहीं है। जब उसके पास शक्ति आती है तो कहता है मैं ही सबसे बड़ा हूं, परिणामस्वरूप वह अकड़ने लगता है। घमंड एवं अहंकार करने लगता है। ईश्वर से विद्रोह करने लगता है। मनुष्यों को अपना दास बना लेता है और चाहता है कि लोग उसे पूजनीय मानें। वह लोगों पर अत्याचार करता है और धरती पर बिगाड़ बरपा कर देता है। चूंकि उसका पैदा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह किसी के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। मरने के बाद उसे कहीं जाना नहीं है और किसी के सामने वह जावाबदेह नहीं है। इसलिए उसकी जैसी मर्ज़ी वैसा जीवन वह गुज़ारता है।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि मनुष्य अपने आपको बहुत कमज़ोर और तुच्छ समझता है। उसके सामने जब इस जगत की बड़ी-बड़ी चीज़ें आती हैं या छोटी

चीज़ें भी जिससे उसे फ़ायदा या नुक़सान हो, उनके सामने वह दंडवत हो जाता है। उनसे डर जाता है, सहम जाता है। सूरज, चांद, सितारे, नदी, पहाड़, सांप, विच्छू या और भी कोई चीज़ हो वो उनके सामने वह झुक जाता है।

पहला जो दृष्टिकोण है उसके नतीजे में इन्सान दुनिया में लूट-खसोट मचाता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है जिसमें इन्सान दुनिया से किनारा कर लेता है। वह हमेशा डर में रहता है। अनिश्चितता और असुरक्षा उस पर छाई रहती है। वह एक असमंजस का शिकार होता है। उसके सामने कोई मार्ग निश्चित नहीं होता है। वह इस बात में अपने आपको सुरक्षित समझता है कि वह दुनिया से कट जाए। वनों और गुफ़ाओं जाकर जीवन व्यतीत कर ले।

इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच में इस्लाम का दृष्टिकोण है और इस्लाम हमें यह बताता है कि ईश्वर ने हमें पैदा किया तुम स्वच्छंद, बेलगाम या मनमौजी नहीं हो। उसने तुम्हें एक मक़सद के तहत पैदा किया है और इसलिए तुम्हारे लिए नियम और क़ानून निश्चित किए हैं। उसने तुम्हें आज़ादी दी, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए यह परीक्षा है कि तुम अपने पालनहार को पहचानते हो या इन्कार करते हो? उसकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हो या उससे विद्रोह करते हो? इन्सानों के साथ अच्छा व्यवहार करते या उन पर अत्याचार करते हो? समाज में शांति क़ायम करते हो या बिगाड़ पैदा करते हो? वह एक दिन तुमसे इस बारे में जवाब तलब करेगा और तुमसे हिसाब लेगा।

आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी नज़र आता है और जो नज़र नहीं आता यानी जो चीज़ें हमारी पहुंच से अभी बहुत दूर हैं, सब ईश्वर ने पैदा की हैं। सूरज, चांद और तारों को ईश्वर ने एक नियम के अधीन कर दिया है। जिस ग्रहपथ पर उन्हें घुमा दिया गया वे उससे बाहर नहीं निकल सकते। जिसे ईश्वर ने आगे बढ़ा दिया वे रुक नहीं सकते, जिसे उसने रोक दिया वो आगे बढ़ नहीं सकते।

पहला जो दृष्टिकोण है उसके नतीजे में इन्सान दुनिया में लूट खसोट मचाता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है जिसमें इन्सान दुनिया से किनारा कर लेता है। वह हमेशा डर में रहता है। अनिश्चितता और असुरक्षा उस पर छाई रहती है। वह एक असमंजस का शिकार होता है। उसके सामने कोई मार्ग निश्चित नहीं होता है। वह इस बात में अपने आपको सुरक्षित समझता है कि वह दुनिया से कट जाए। वनों और गुफ़ाओं जाकर जीवन व्यतीत कर ले।

विचित्र बात है कि जो ख़ुद किसी के ग़ुलाम हों तुम उन्हें ख़ुदा कैसे बना सकते हो। ये सूरज, चांद, नदियां और पहाड़ तुम्हारे लिए पूजनीय नहीं हैं। ये सब तुम्हारे लिए नियत किए गए हैं। ईश्वर इस जगत की अपनी इन निशानियों पर इन्सान को चिंतन मनन करने का आमंत्रण देता है।

लेकिन अफ़सोस यह है कि ईश्वर को पहचानने और उसे पाने के जो तीन प्रमुख संकेत चिन्ह हैं, मौजूदा शिक्षा व्यवस्था ने वहां कुछ और चीज़ों को स्थापित कर दिया। जैसे कि पहला यह जगत, दूसरा ख़ुद इन्सान का अस्तित्व। इन्सान अगर इनके सृजन पर ग़ौर करे तो पाता है कि इन्हें बनाने और इन्हें संतुलित रखने वाला कोई मौजूद है, लेकिन मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में ईश्वर के इन संकेत चिन्हों को बिगबैंग और डार्विनवाद या विकासवाद जैसे सिद्धांतों से बदल देने को प्रयास किया गया, लेकिन विकासवाद के समर्थक आज तक यह बता पाने में असमर्थ हैं कि वह पहली मानव कोशिका या वह पदार्थ कहां से आया जिसकी क्रमागत उन्नति के परिणामस्वरूप यह मौजूदा जगत और इन्सान अस्तित्व में आया?

ईश्वर को पहचानने का तीसरा जो संकेत चिन्ह है वह यह है कि ईश्वर ने



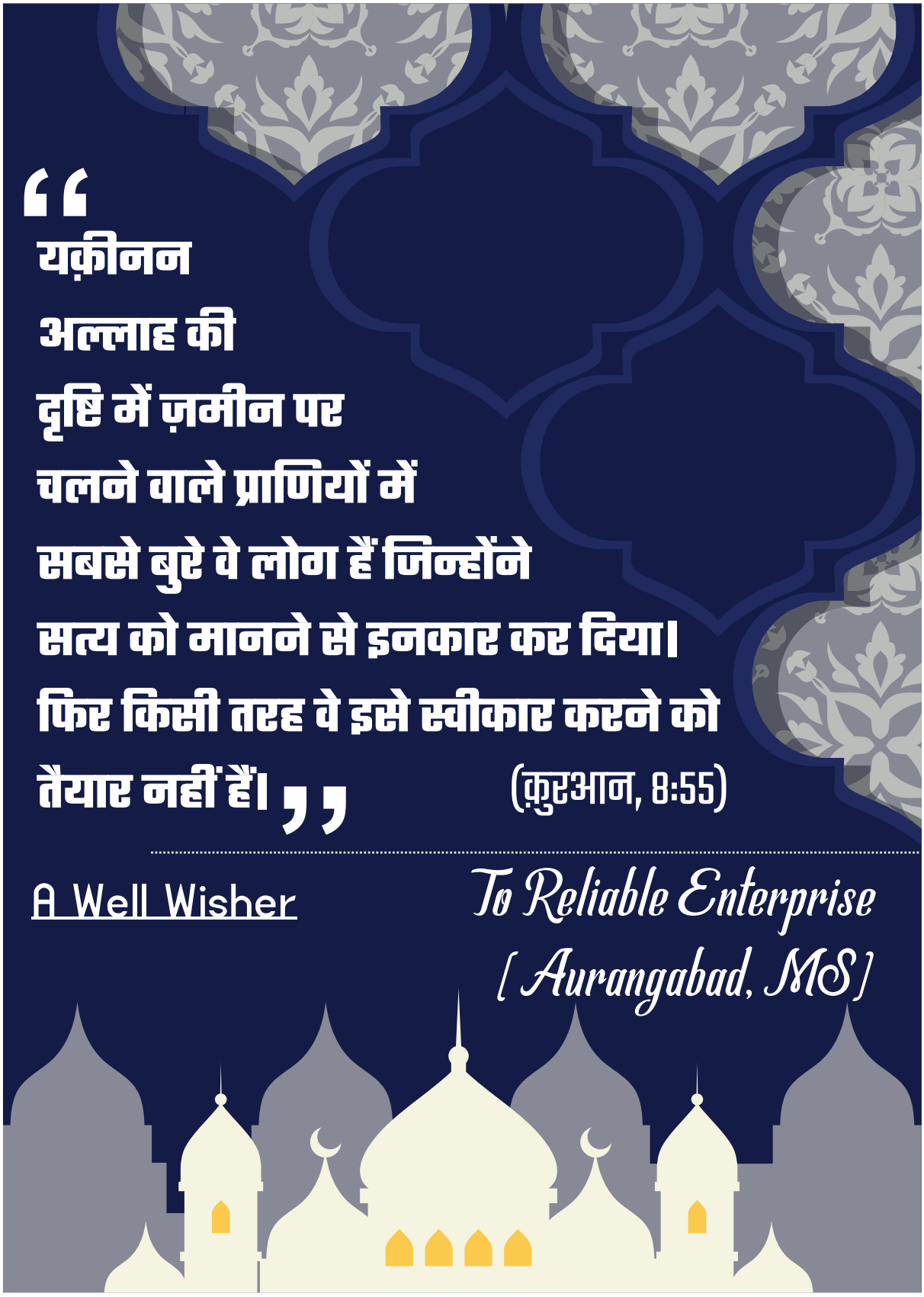
इन्सान के भीतर ज़मीर (अंतरात्मा की आवाज़) को रखा। नैतिक चेतना को रखा। अंग्रेज़ी में जिसे इनर वाइस ऑफ़ गॉड कहा जाता है। इन्सान जब कुछ करता है तो अंदर से यह आवाज़ आती है कि यह सही है। जब वह कुछ ग़लत करता है तो अंदर से उसे टोका जाता है और बताया जाता है कि यह सही नहीं है।

इसको भी लोगों ने बदल दिया और कहा कि नैतिकता अपने आप में कोई अटल चीज़ नहीं है बल्कि सापेक्षिक प्रभाव है। इन्सानी समाज जैसे-जैसे प्रगति करता है वैसे-वैसे नैतिकता में भी परिवर्तन आता है। इसका कोई अटल नियम-क़ायदा मौजूद नहीं है।

ये वो तीन संकेत चिन्ह हैं जहां इन्सान ईश्वर को खोज सकता है, लेकिन मौजूदा शिक्षा व्यवस्था ने इन तीनों को तथाकथित विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों से बदल देने का प्रयास किया।

इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच में इस्लाम का दृष्टिकोण है और इस्लाम हमें यह बताता है कि ईश्वर ने हमें पैदा किया तुम स्वच्छंद, बेलगाम या मनमौजी नहीं हो। उसने तुम्हें आज़ादी दी, लेकिन इसमें तुम्हारे लिए यह परीक्षा है कि तुम अपने पालनहार को पहचानते हो या इन्कार करते हो? उसकी शिक्षाओं को स्वीकार करते हो या उससे विद्रोह करते हो? इन्सानों के साथ अच्छा व्यवहार करते या उन पर अत्याचार करते हो? समाज में शांति क़ायम करते हो या बिगाड़ पैदा करते हो?

समाज के पढ़े-लिखे लोगों को चाहिए कि वे क़ुरआन की रोशनी में एकेश्वरवाद का अध्ययन करें, क्योंकि क़ुरआन का दृष्टिकोण तार्किक और वैज्ञानिक है। क़ुरआन इन्सानों की प्रकृति को आकर्षित करता है। इससे जहां कहीं भी ईश्वर का इन्कार है वहां हम तार्किक ढंग से यह साबित कर सकते हैं कि ईश्वर मौजूद है। दुनिया में बिगाड़ पैदा न हो और यह अम्न व शांति का गहवारा बने इसलिए क़ुरआन के संदेश को आम करना ज़रूरी है। ■■


“यक़ीनन
अल्लाह की
दृष्टि में ज़मीन पर
चलने वाले प्राणियों में
सबसे बुरे वे लोग हैं जिन्होंने
सत्य को मानने से इनकार कर दिया।
फिर किसी तरह वे इसे स्वीकार करने को
तैयार नहीं हैं।”
(क़ुरआन, 8:55)
A Well Wisher
To Reliable Enterprise
[Aurangabad, MS]



सोशल मीडिया और चिंतन का मनोविज्ञान

हमारे जीवन पर हमारे चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ता है। चिंतन सकारात्मक होगा तो जीवन सकारात्मक बनेगा और नकारात्मक होगा तो जीवन भी नकारात्मक ही बनेगा। जैसी सोच वैसा जीवन वाली कहावत इसीलिए सर्वविदित है, क्योंकि हर चिंतन चेतन से लेकर अवचेतन मन तक को झकझोर कर रख देता है। अवचेतन मन में उतरे भाव व विचार जिस स्तर के होंगे, वे उसी स्तर के व्यवहार एवं जीवन का निर्माण करते हैं।

चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। यह शिक्षण, स्मरण, कल्पना आदि मानसिक क्षमताओं से जुड़ा रहता है। मनुष्य बुद्धिबल एवं चिंतन में अन्य प्राणियों से विकसित प्राणी है। मनुष्य की प्रगति मुख्यतः उसके चिंतन पर आधारित है और इसके उपयोग से वह अपनी कई प्रकार की समस्याओं को

सौंदर्य बोध



तबाना नूरी

हल करता है। विचारों के आदान-प्रदान में व्यक्ति चिंतन का प्रयोग करता है।

अन्य मानसिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा चिंतन अधिक जटिल प्रक्रिया है और यह प्रायः अतीतानुभूतियों पर निर्भर करता है। अर्थात् चिंतन व्यक्ति के ज्ञानात्मक व्यवहार का जटिल स्वरूप है। चिंतन शक्ति के कारण ही व्यक्ति विज्ञान, तकनीकी तथा अन्य विधाओं का विकास करता है। यह एक ऐसी बौद्धिक क्षमता है जिसका महत्व व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है।

चिंतन को हम मानसिक विचार की अवस्था भी कह सकते हैं। अर्थात् व्यक्ति की एक विचारशील अवस्था का नाम चिंतन है। विचार का अर्थ है कि विभिन्न दृष्टियों से एक बात को देखने अथवा समझने का प्रयत्न करना। चिंतन के अंतर्गत हम विचार को जांचते है, समालोचना करते हैं और उसके प्रति जागरूक होते हैं, तुलना करते हैं, प्रश्न-प्रतिप्रश्न करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बार-बार दोहराते हैं और अभीष्ट बातों को सामने लाने का प्रयत्न करते हैं, इत्यादि।

चिंतन की प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है। चिंतन में विभिन्न आंतरिक क्षमताओं का उपयोग होता रहता है, जैसे-कल्पना, एकाग्रता,

जागरूकता, स्मृति, समझ और अवलोकन आदि। ये सभी आन्तरिक क्षमताएं चिंतन की प्रक्रिया में सहभागी एवं सहयोगी बनती हैं।

मनोविज्ञान के जानकारों को मानना है कि सकारात्मक, कल्याणकारी और सुखमय भावों से ओतप्रोत विचार, दृश्य, घटनाओं के दर्शन-श्रवण एवं उस पर सतत चिंतन-मनन से मन, बुद्धि, चित्त, हृदय एवं अंतःकरण सहित सम्पूर्ण जीवन में सुख-शांति, संतोष और पवित्रता से भरने लगता है।

मनोविश्लेषक कहते हैं कि कल्याणकारी भावों से जुड़े क्रिया-कलापों में सक्रिय रहने से जीवन की चिंताएं मिटती हैं, चित्त से लेकर मन-मस्तिष्क सकारात्मक शक्ति भरती है तथा शारीरिक क्षमता में रचनात्मक ऊर्जा जागती है। अंतःकरण में उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन सुखद, प्रसन्नचित्त, समृद्ध व शांतिमय बनता है। यही नहीं इससे स्वयं के साथ-साथ परिवार और समाज के प्रति हितकारी भाव और संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसा वातावरण बनता है, जो कल्याणकारी समाज का निर्माण करता है।

आज कल हम विचारों के युग में जी रहे हैं, मीडिया व सोशल मीडिया का ज़माना है, जो हमारे चिंतन, सोच एवं व्यवहार को हर क्षण प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रेरणाएं जनमानस में जगाने में सफल साबित होते जा रहे हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक मीडिया-सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से चिंतित भी हैं। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही सावधान होकर इसके संदेश को ग्रहण करने की ज़रूरत है और इसके उपयोग में सावधानी बरतने की ज़रूरत है।

मौजूदा समय में हम लोग सोशल मीडिया और मीडिया पर हर क्षण जो देखते रहते हैं, वह आज सकारात्मकता कम, नकारात्मकता अधिक परोस रहा है। जो देखने वाले के अवचेतन मन में जाकर बैठता है, जिसे देखने के बाद मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएं जन्म लेती हैं। इस प्रकार हम जैसे-जैसे उनके प्रति सोचते हैं, इसके दुष्प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर पड़ते रहते हैं।



चिंतन का विज्ञान कहता है कि सकारात्मक भावों से सकारात्मक और नकारात्मक भावों के साथ सोचने से नकारात्मक ऊर्जा वाली तरंगें वातावरण में फैलती हैं। अर्थात् जैसे भाव वाली तरंगें हम अपने अंतःकरण से प्रेषित करते हैं, उसी प्रकार की तरंगे कई गुना बढ़कर हमारे सामने आने लगती हैं।

अतः आवश्यक है कि हम मीडिया एवं सोशल मीडिया द्वारा परोसी जाने वाली ऐसी चीज़ों को देखने से बचें, जिन्हें हम अपने जीवन में हम लाना नहीं चाहते, अपितु ऐसी चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जो हमारे जीवन में ख़ुशी, सुख-शांति और संतोष लेकर आएं। यह सही है कि इस युग में सोशल मीडिया व मीडिया से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन इसके सकारात्मक उपयोग के प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए इस माध्यम का उपयोग ऐसी चीज़ों के लिए करें, जिससे जीवन में सकारात्मकता आए।

सोशल मीडिया जहां सकारात्मक भूमिका अदा करता है वहीं कुछ लोग इसका ग़लत उपयोग भी करते हैं। सोशल मीडिया का ग़लत तरीक़े से उपयोग कर ऐसे लोग दुर्भावनाएं फैलाकर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और नकारात्मक जानकारी साझा की जाती है, जिससे कि जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यह बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है, जिनमें से बहुत-सी जानकारी भ्रामक भी होती है। इसके ज़रिये जानकारी को किसी भी प्रकार से तोड़-मरोड़कर पेश किया जा सकता है। किसी भी जानकारी का स्वरूप बदलकर उसे उकसावे वाली बनाई जा सकती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं होता।

नकारात्मक एवं सकारात्मक सोच के लोग इसी समाज में रहते हैं। हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस सोच के साथ एवं कैसे करना है, यह हमें ही तय करना है। ऐसे में हम स्वयं सावधानी बरतें, साथ ही अनुभव करें कि विचारों की ये नकारात्मक ऊर्जा कहीं हमारे जीवन को ग़लत रास्ते पर ले जाकर तो नहीं खड़ा कर रही है? ■■

(लेखिका ऑस्ट्रेलिया में रह रही प्रवासी भारतीय हैं)



सुफ़ियान अहमद

"जनसंख्या विस्फोट"

त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और निराधार आशंकाएं

हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1987 को दुनिया की आबादी के आंकड़े 5 अरब को पार कर गए थे। इसके तुरंत बाद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने वर्ष 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की मनाने की शुरुआत की।

जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब, 42 करोड़, 86 लाख होने का अनुमान है, जबकि चीन की जनसंख्या 1 अरब, 42 करोड़, 57 लाख है। मतलब आबादी में भारत अब चीन से 29 लाख आगे निकल गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1950 से जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना शुरू किया था और उसके बाद भारत पहली बार दुनिया में आबादी के मामले में सबसे आगे निकल गया है।

दशकों से परिवार नियोजन की बात कर रहा हमारा देश समझ नहीं पा रहा कि जनसंख्या में चीन से आगे निकलने की ख़बर का किस तरह स्वागत करे। "हम दो, हमारे दो" का स्लोगन अवचेतन में इतना गहरा धंसा है कि जनसंख्या की रेस जीतने की ख़बर हमें लज्जित कर रही है।

जनसंख्या नीति : जब कभी देश में जनसंख्या की बात उठती है, तो विराट जनसंख्याओं को उपयोगी मानव संसाधन पूंजी में बदलने के स्वर्णिम सूत्र प्रस्तुत करने के बजाए कहा जाने लगता है कि इसे क़ानून बनाकर रोके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत अपनी बड़ी आबादी का भरण-पोषण ठीक ढंग से कर पाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि अगर हमारी आबादी कम रहे तो ज़्यादा बेहतर है। दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जबकि वैश्विक सतह क्षेत्र का कुल 2.45 प्रतिशत हिस्सा ही भारत के पास है। इसी तरह वैश्विक तुलना में जल संसाधन भी भारत के पास चार प्रतिशत ही है।

इस स्थिति को देखते हुए ही आम लोगों से लेकर विशेषज्ञों और हमारे सांसदों तक ने जनसंख्या नियंत्रण

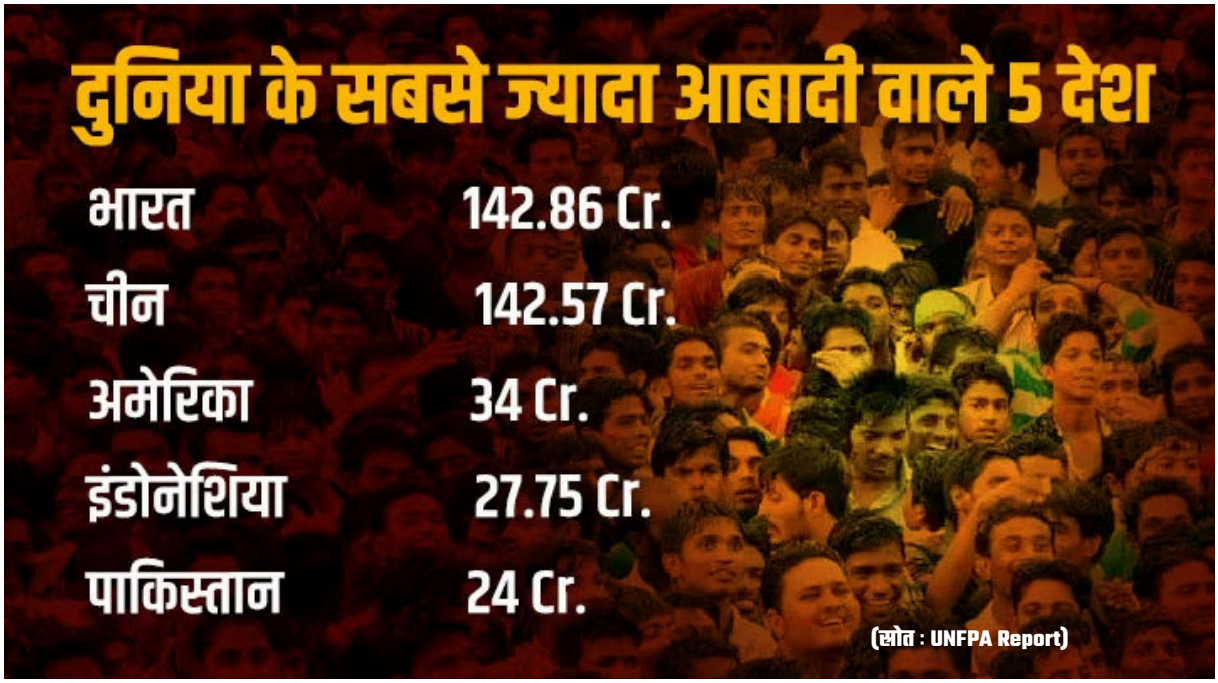
क़ानून बनाने की मांग की है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हैं। आज़ादी के बाद से वर्ष 2020 तक ऐसे 35 बिल विभिन्न दलों के सांसद पेश कर चुके हैं। बावजूद इसके परिवार के आकार को विनियमित करने के लिए देश में केंद्रीय क़ानून बनाना संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि क़ानून बनाने के कई नुक़सान हैं।

जनसंख्या नियंत्रण क़ानून को लागू करने के ख़तरों की बात करें, तो ऐसे क़ानूनों से बढ़ती आबादी पर एकाएक रोक लग जाती है। नतीजा यह निकलता है कि युवाओं की देश में कमी हो जाती है और बुज़ुर्गों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। चीन समेत दुनिया के ज़्यादातर विकसित देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। चीन ने लगभग 35 वर्ष पहले एक बच्चे वाला क़ानून बना दिया था। चीन ने जब अपनी "वन चाइल्ड पॉलिसी" की शुरुआत की थी, तब उसने यही सोचा था कि जनसंख्या पर लगाम लग जाएगी। 1979 में शुरू हुई ये पॉलिसी लगभग 30 वर्ष तक चली, लेकिन इसका असर चीन की वर्किंग पॉपुलेशन पर पड़ने लगा। जिसके बाद चीन को अपनी इस पॉलिसी पर विचार करना पड़ा और हमने देखा कि आगे जाकर उसे मजबूरन अपनी 'वन चाइल्ड पॉलिसी' बदलनी पड़ी। अन्य ख़तरों की यदि बात करें, तो इससे असुरक्षित गर्भपात के मामलों में भारी उछाल आ सकता है। असुरक्षित गर्भपात से महिलाओं की जान को ख़तरा पैदा हो सकता है। इसी तरह के कुछ और ख़तरे भी हैं, जिन्हें हमें समझना चाहिए।

इस समय भारत सबसे अधिक युवाओं वाला देश है, जबकि बाक़ी विकसित देश बुज़ुर्गों के देश बन चुके हैं। वहां बुज़ुर्गों की देखभाल बड़ी समस्या बन गई है। उनकी देखभाल और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के युवाओं को बुलाया जा रहा है। भारत अपनी इस युवा शक्ति का बेहतर नीति बनाकर लाभदायक इस्तेमाल कर सकता है। अगर भारत ने भी इस तरह का क़ानून बना दिया तो हो सकता है कि यहां भी चीन और दूसरे पश्चिमी देशों वाली समस्या पैदा हो जाए।

मूल समस्या : ज़्यादा आबादी दुख की वजह नहीं है। समाज में बढ़ती असमानता और ग़रीबी ने मुश्किल में डाल रखा है। जो लोग जनसंख्या को भारत की ग़रीबी का कारण मानते हैं उन्हें इस सत्य पर विचार करना चाहिए कि अपने देश में लगभग 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। साथ में यह भी सत्य है कि (एफएओ के अध्ययन के अनुसार) भारत में 40 प्रतिशत भोजन की बर्बादी होती है। अगर बढ़ती आबादी को बर्बाद होते भोजन के साथ जोड़ लें तो हम भोजन की चुनौती को निपटा सकते हैं। आज भोजन की बर्बादी लगभग 92 हज़ार करोड़ रुपये के बराबर हो गई है, इतने में हम आबादी के भोजन-संकट का हल कर सकते हैं।

यूएनईपी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) की रिपोर्ट के मुताबिक़ पूरे



यूएनईपी (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में खाने की बर्बादी के मामले में सबसे पहला स्थान चीन का है, जहां हर साल 9.6 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। भारत में 40 प्रतिशत भोजन की बर्बादी होती है। पूरे विश्व में क़रीब 12 अरब लोगों के लिए भोजन का उत्पादन किया जाता है, जबकि आबादी क़रीब 8 अरब है। इसके बावजूद लगभग 86 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं और हम अपने उत्पादन का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद कर देते हैं।



विश्व में खाने की बर्बादी के मामले में सबसे पहला स्थान चीन का है, जहां हर साल 9.6 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। भारत में सालाना 6.87 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। अमेरिका में 1.96 करोड़ टन! इसमें रसोईघर में खाना बर्बाद होने का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा है। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में क़रीब 12 अरब लोगों के लिए भोजन का उत्पादन किया जाता है, जबकि आबादी क़रीब 8 अरब है। इसके बावजूद लगभग 86 करोड़ लोग भूखे रह जाते हैं और हम अपने उत्पादन का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद कर देते हैं।



ऐसे में प्रबंधन और वितरण कैसे बेहतर हो? यही बड़ा सवाल है। बात यदि भारत की जाए तो देश में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून की नहीं बल्कि आर्थिक विषमता को कम करने की ज़रूरत है। हम लोग अपने साधनों और संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दिक़्क़तें बढ़ रही हैं। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया तो देश ख़ुद ही तरक़्क़ी की राह पर चलने लगेगा। आज हालत यह है कि मात्र 5 प्रतिशत लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। देश में भुखमरी और ग़रीबी को कम करने के लिए इस अंतर को कम करने की सख़्त ज़रूरत है। समस्या प्रबंधन और आर्थिक संसाधनों के वितरण की है जनसंख्या की नहीं।

त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण : जनसंख्या को समस्या के रूप में देखने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि जनसंख्या एक प्रमुख संसाधन भी है। इस संबंध में हमें देखना होगा कि समकालीन अर्थचेतना के अनुसार बड़ी जनसंख्या को को मानव संसाधन और पूंजी के रूप में बदलने के प्रमुख सूत्र क्या हैं?

उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर निवेश कर बढ़ती आबादी को

मानव पूंजी में बदला जा सकता है। जो देश अपनी आबादी को मानव पूंजी में बदलने में सक्षम रहते हैं उनके लिए जनसंख्या कोई मुश्किल पैदा नहीं करती, लेकिन भारत अभी तक ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हुआ है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश चीन दुनिया के आर्थिक शिखर पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ ही पहुंचा। उसने आबादी को ज़्यादा शोर-शराबे का हिस्सा नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी जनशक्ति का उसने जिस तरह से उपयोग किया है, वह हम सबके लिए एक बड़ा उदाहरण है। चीन ने अपनी आबादी का कौशल-विकास किया और आर्थिक विकास कर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। ऐसे में हम इस हो-हल्ले में न पड़ते हुए कि हम 142 करोड़ हो गए, नए रास्तों और प्रबंधनों की चिंता करे तो बेहतर होगा।

हम ढेर सारे संसाधनों से युक्त हैं। हमारे पास हर तरह की संभावनाएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से भारत सर्वोपरि साबित हो सकता है। आज यह मानकर चला जा सकता है कि हमने अपने पर्यटन का मात्र 30 प्रतिशत से ज़्यादा लाभ नहीं उठाया है। ऐसे और भी बहुत से क्षेत्र हैं जहां अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन जिन पर हमने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बड़ी आबादी को हम एक जनशक्ति के रूप में उपयोग में लाएं। अपने देश में सूखती हुई नदियों, बंजर पड़ी भूमि या पारिस्थितिकी से संदर्भित तमाम तरह के कार्यों को इस बड़ी जनशक्ति से जोड़ा जा सकता है।

जसंख्या को समस्या के रूप में देखने वाले यह क्यों भूल जाते हैं कि जनसंख्या एक प्रमुख संसाधन भी है। इस संबंध में हमें देखना होगा कि समकालीन अर्थचेतना के अनुसार बड़ी जनसंख्या को को मानव संसाधन और पूंजी के रूप में बदलने के प्रमुख सूत्र क्या हैं? उच्च शिक्षा और कौशल विकास पर निवेश कर बढ़ती आबादी को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। जो देश अपनी आबादी को मानव पूंजी में बदलने में सक्षम रहते हैं उनके लिए जनसंख्या कोई मुश्किल पैदा नहीं करती, लेकिन भारत अभी तक ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हुआ है।

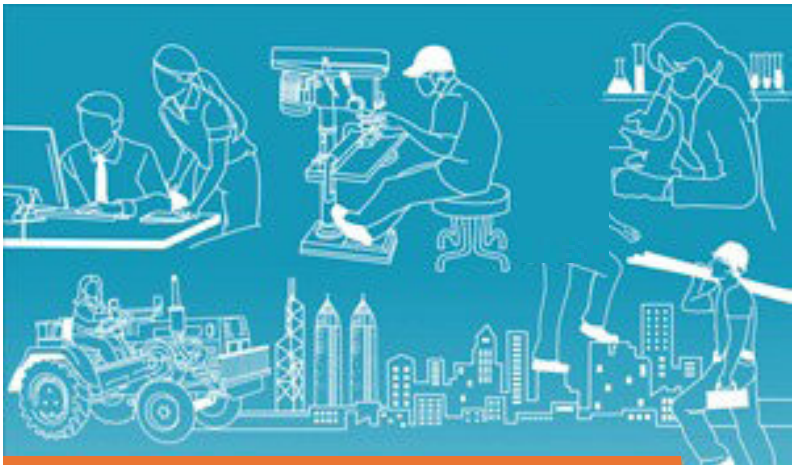
विकास का विलोम नहीं है आबादी : वास्तव में, आबादी को बोझ मानने वाला अर्थचिंतन इधर कमज़ोर पड़ा है। अब तो "जनसांख्यिकीय लाभांश" (Demographic dividend) सिद्धांत का बोलबाला है। जिस प्रकार आबादी की वृद्धि दर को केवल खाद्य आपूर्ति की वृद्धि दर के संदर्भ में देखने वाली 200 वर्ष पुरानी मॉल्थस थ्योरी को 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने ग़लत साबित कर दिया था उसी प्रकर इधर चीन ने साबित कर दिया कि आबादी को विकास का विलोम समझना भूल है। दुनिया लगातार ख़ुशहाल हो रही है और कुछ दशक पहले के मुक़ाबले एक औसत विश्वनागरिक का जीवन सुधरा है। आबादी को लेकर हमें अपने त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और निराधार आशंकाओं को दूर करना होगा। बढ़ती जनसंख्या अहम मानव संसाधन भी है। भारत में 68 प्रतिशत युवाओं और 48.5 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी संकेत करती है कि यदि उनका सदुपयोग किया जाए तो देश विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयां छू सकता है। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाना होगा। ■■



अभिमत



डॉ. नीरज कौशल



मानव संसाधन को पूंजी में बदलने का स्वर्णिम अवसर

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक़ भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इसका कई लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत जनसंख्या-विस्फोट के दौर से गुज़र रहा है और इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा मानने वाले भूल कर रहे हैं कि भारत जनसंख्या-विस्फोट के दौर से नहीं गुज़र रहा है। वास्तव में, आज़ादी के बाद से भारत में जनसंख्या-वृद्धि आज अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। भारत की प्रजनन-दर प्रति-महिला 2.0 है।

जनसांख्यिकी के जानकारों ने जिसे रिप्लेसमेंट लेवल माना है, जिस पर आकर जनसंख्या स्थिर हो जाती है, यह दर उससे कम है। रिप्लेसमेंट रेट को सामान्यतया प्रति-महिला 2.1 माना जाता है। पांच ही राज्यों की प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल से अधिक है और इनमें भी तीन ही बड़े हैं–बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। दो राज्य छोटे हैं- मणिपुर और मेघालय। इनमें से भी चार ऐसे हैं, जो रिप्लेसमेंट लेवल से थोड़ा ही अधिक हैं और उनकी प्रजनन दर तेज़ी से घट रही है।

यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो लोगों को केवल खाने वाले मुंह के रूप में गिनता है। यानी जितने लोग होंगे, उतने लोगों को हमें खिलाना होगा, लेकिन इसका वैकल्पिक विचार यह है कि लोग इनोवेशन करने वाला दिमाग़, उत्पादन करने वाले हाथ, सृजन करने वाली प्रतिभा और परवाह करने वाला दिल भी होते हैं। दूसरे शब्दों में लोगों को ह्यूमन कैपिटल की तरह देखा जा सकता है। ऐतिहासिक डाटा और शोध इस दूसरे नज़रिये की पुष्टि करते हैं।

भारत के सभी राज्यों में बिहार की प्रजनन दर सबसे अधिक 3 है, लेकिन उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। संक्षेप में, भारत को जनसंख्या-नियंत्रण के लिए कोई क़दम उठाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दशकों में आबादी वृद्धि दर स्वतः स्थिर हो जाएगी और वर्ष 2050 के बाद उसमें गिरावट आने लगेगी।

आज अनेक लोग देश की वर्तमान जनसांख्यिकी को अत्यंत ख़तरे की स्थिति की तरह देखते हैं। इनमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उल्लेखनीय हैं। वैसे अंदेशे न केवल निराधार हैं, बल्कि वे इतिहास का एक ऐसा दृष्टिकोण भी सामने रखते हैं, जो त्रुटिपूर्ण है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो लोगों को केवल खाने वाले मुंह के रूप में गिनता है। यानी जितने लोग होंगे, उतने लोगों को हमें खिलाना होगा, लेकिन इसका वैकल्पिक विचार यह है कि लोग इनोवेशन करने वाला दिमाग़, उत्पादन करने वाले हाथ, सृजन करने वाली प्रतिभा और परवाह करने वाला दिल भी होते हैं। दूसरे शब्दों में लोगों को

ह्यूमन कैपिटल की तरह देखा जा सकता है। ऐतिहासिक डाटा और शोध इस दूसरे नज़रिये की पुष्टि करते हैं।

जनसंख्या वृद्धि को ख़तरे की घंटी की तरह देखने का एक साम्प्रदायिक कोण भी है। संघ प्रमुख जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही जनसंख्या संतुलन की भी बात करते हैं। यहां पर कुछ तथ्यों को सामने रखा जा सकता है। पहली बात तो यह कि जहां मुस्लिमों की प्रजनन दर हिंदुओं से अधिक है, वहीं इन दोनों के बीच का अंतराल अब तेज़ी से घट रहा



है। इसका यह मतलब है कि मुस्लिमों की प्रजनन दर हिंदुओं की प्रजनन दर की तुलना में अधिक तेज़ी से घट रही है। वर्ष 1992 में मुस्लिमों की प्रजनन दर हिंदुओं की प्रजनन दर की तुलना में प्रति-महिला एक शिशु अधिक की थी, लेकिन वर्ष 2021 में यह आंकड़ा एक के बजाय 0.4 तक पहुंच गया है।

दूसरी बात यह है कि भारत में प्रजनन दर को समझने की कुंजी देश के भूगोल और आर्थिक स्थिति में निहित है। इसकी तुलना में धर्म प्रजनन का एक कमज़ोर निर्धारक-तत्व है। मिसाल के तौर पर, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और असम-इन तीन राज्यों में सघन मुस्लिम आबादी है, इसके बावजूद इन राज्यों में मुस्लिमों की प्रजनन दर बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की तुलना में कम है। इसका कारण धार्मिक अंतर नहीं है। वास्तव में इसके मूल में भौगोलिक भेद है। तीसरे, देश के जिन पांच राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की सघन आबादी (20 प्रतिशत से अधिक) है, वहां प्रजनन दर रिप्लेसमेंट रेट से बहुत नीचे है, जिसका मतलब है कि इनमें से कुछ राज्यों की आबादी वास्तव में कम हो रही है।

जम्मू-कश्मीर और लक्षद्वीप में यह 1.4 प्रति-महिला है, जो कि अत्यंत कम है। पश्चिम बंगाल में यह 1.6, केरल में

भारत के सभी राज्यों में बिहार की प्रजनन दर सबसे अधिक है, लेकिन उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। संक्षेप में, भारत को जनसंख्या-नियंत्रण के लिए कोई क़दम उठाने की ज़रुरत नहीं है। कुछ दशकों में आबादी वृद्धि दर स्वत: स्थिर हो जाएगी और वर्ष 2050 के बाद उसमें गिरावट आने लगेगी।

1.8 और असम में 1.9 प्रति-महिला है और ये सभी कम दरें हैं। चौथी बात यह कि हिंदुओं और मुस्लिमों की प्रजननशीलता में जो अंतर है, उसकी तुलना एक ही आर्थिक स्तर पर करने पर वह लगभग विलीन हो जाता है। इसका यह मतलब है कि अगर दोनों समूहों की प्रजनन दर के अंतराल को पाटना है तो इसके लिए आर्थिक विकास करना होगा-सबका विकास। जैसे ही आर्थिक समृद्धि के फल निम्न आय समूहों तक पहुंचेंगे और स्त्रियों की शैक्षिक दशा सुधरेगी, हिंदुओं और मुस्लिमों की प्रजनन दर का अंतर समाप्त हो जाएगा। ■■

(लेखिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं। साभार, द इकोनॉमिक टाइम्स)

जनसंख्या सिद्धांत

वास्तविकता से अनभिज्ञता क्यों?

समाधान



संपादन प्रभाग

“और निर्धनता के भय से अपनी संतान की हत्या न करो, हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी। वास्तव में उनकी हत्या बहुत ही बड़ा अपराध है।”

(क़ुरआन, 17:31)



बर्थ कंट्रोल (Birth Control) परिवार नियोजन (Family Planning) या नियोजित पितृत्व (Planned Parenthood) एक ही क्रिया के विभिन्न नाम हैं जिसका मूल उद्देश्य संसार में मनुष्य की आबादी को कम-से-कम करना है। इसके लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जाती रही हैं। ये योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी बन रही है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जनसंख्या को ख़ुशहाली के प्रतिकूल समझने वाले 225 साल पुराने माल्थस के सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत ख़तरों के आधार पर इसकी शुरुआत की गई। माल्थस के प्रस्तुत किए हुए ख़तरे व्यावहारिकता की कसौटी पर कबके ग़लत साबित हो चुके हैं, क्योंकि माल्थस को केवल खाने वाले मुंह दिखाई देते हैं उत्पादन करने वाले हाथ नहीं। सवाल उठता है कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आशंकाएं ग़लत साबित हो जाने के बाद भी इतनी प्रबल क्यों हैं? और इसके भय से बड़े-बड़े देश भयभीत क्यों हैं? जनसंख्यां नियतंत्रण की बड़ी-बड़ी योजनाएं क्यों संचालित की जा रही हैं।

वास्तव में इस प्रकार की योजनाएं ऐसे लोगों के द्वारा आरंभ की गईं, जो यह समझ बैठे हैं कि यह सृष्टि अपने आप बन गई और अपने आप चल रही है। संसार में मनुष्य भी इसी प्रकार पैदा हो जाते हैं। अतः जो लोग अपने मां-बाप की मूर्खता के कारण, पहले पैदा हो चुके हैं, उनकी बुद्धिमत्ता का तक़ाज़ा है कि वे अपने बाद आने वालों के लिए सारे रास्ते बन्द कर दें। उन लोगों का विचार है कि सर्वप्रथम तो इस संसार का बनाने वाला कोई ईश्वर है नहीं और यदि है भी तो वह ऐसा कमज़ोर है कि किसी आने वाले को रोकने की शक्ति ही नहीं रखता

और यदि कोई व्यक्ति इस संसार में ज़बरदस्ती आ जाता है तो वह इसका भी सामर्थ्य नहीं रखता है कि उसके जीवन-साधन का प्रबन्ध कर सके। अतः प्रत्येक आने वाला मौजूदा लोगों की रोज़ी में से हिस्सा छीनकर उन्हें भूखा रहने पर विवश कर देता है।

इसके विपरीत ऐसे लोग, जो यह विश्वास रखते हैं कि इस विश्व तथा मनुष्यों को भी एक सर्वज्ञ विधाता ने उत्पन्न किया है। यह विधाता भली प्रकार जानता है कि संसार के किस देश में और संस्कृति के किस स्तर तक



पहुंचने पर किस युग में उसके संसार को चलाने के लिए किस-किस प्रकार के कितने लोगों की आवश्यकता है। वह एक शक्तिशाली और व्यापक योजना के अंतर्गत उन्हें उत्पन्न करता रहता है। वह जिसको संसार में भेजता है, उसकी आजीविका की भी पूरी व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग उन काल्पनिक दर्शन और षड्यंत्रकारी आन्दोलनों में कोई आकर्षण महसूस नहीं करते। बल्कि ऐसे लोग आधुनिक विज्ञान के अनुसंधानों और आविष्कारों को देखते हैं तो उनके विश्वास में और अधिक दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है और ईश्वर की असाधारण क्षमता, उसकी तत्वदर्शिता और सर्वज्ञता पर दृढ़विश्वास हो जाता है और वे सोचने लगते हैं कि काश! ये पथ-भ्रष्ट लोग इसी पर चिंतन कर लेते-

''उसने (ईश्वर ने) इस सीमित क्षेत्र (पृथ्वी) पर भांति-भांति की सृष्टियों का निर्माण किया है, जिनमें से प्रत्येक के अन्दर प्रजनन क्रिया की ऐसी अपार शक्ति है कि यदि केवल एक ही प्रकार बल्कि कुछ क़िस्मों के केवल एक जोड़े की नस्ल को वह पूरी शक्ति के साथ बढ़ने दे तो एक अल्प अवधि के अन्दर संपूर्ण पृथ्वी तल केवल उसी नस्ल से पट जाए तथा किसी दूसरी नस्ल के लिए रत्ती भर स्थान शेष न रहे। उदाहरणस्वरूप वनस्पति की एक क़िस्म है जिसको (Sisym Brium Sophia) कहते हैं। इस क़िस्म की प्रत्येक इकाई में साधारणतया साढ़े सात लाख बीज होते हैं। यदि उसके केवल एक पौधे के सब बीज ज़मीन में उग जाएं तथा तीन वर्ष तक उसकी नस्ल बढ़ती रहे तो पृथ्वी में दूसरी चीज़ों के लिए एक चप्पा भूमि भी शेष न रहे।

स्टार फिश (Star Fish) एक प्रकार की मछली, जो एक बार में बीस करोड़ अंडे देती है। यदि उसकी केवल एक इकाई को अपनी पूरी नस्ल बढ़ाने का अवसर मिल जाए तो तीसरी-चौथी पीढ़ी तक पहुंचते-पहुंचते पूरे संसार के

जनसंख्या नियंत्रण की योजनाएं, जनसंख्या को खुशहाली के प्रतिकूल समझने वाले 225 साल पुराने माल्थस के सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत ख़तरों के आधार पर इसकी शुरुआत की गई। माल्थस के प्रस्तुत किए हुए ख़तरे व्यावहारिकता की कसौटी पर कबके ग़लत साबित हो चुके हैं, क्योंकि माल्थस को केवल खाने वाले मुंह दिखाई देते हैं उत्पादन करने वाले हाथ नहीं। सवाल उठता है कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आशंकाएं ग़लत साबित हो जाने के बाद भी इतनी प्रबल क्यों हैं? और इसके भय से बड़े-बड़े देश भयभीत क्यों हैं? जनसंख्यां नियतंत्रण की बड़ी-बड़ी योजनाएं क्यों संचालित की जा रही हैं।



समुद्र उससे लबालब भर जाएं तथा उनमें पानी की एक बूंद की भी जगह शेष न रहे। दूर क्यों जाते हैं, स्वयं मनुष्य ही की प्रजनन शक्ति को देख लीजिए। एक व्यक्ति के शरीर से एक समय में जो वीर्य निकलता है उससे एक ही समय तीस-चालीस करोड़ औरतें गर्भ धारण कर सकती हैं। यदि केवल एक ही पुरुष की पूरी प्रजनन-क्षमता को सक्षम रूप से क्रियान्वित होने का अवसर मिल जाए तो कुछ वर्षों में पूरी पृथ्वी उसकी संतान से खचाखच भर जाए। परन्तु वह कौन है जो हज़ारों-लाखों वर्षों से पृथ्वी पर उन अनगिनत क़िस्मों को इस प्रबल प्रजनन-शक्ति के साथ उत्पन्न कर रहा है तथा किसी क़िस्म को भी उसकी सुनिश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता?

.....वह कौन है जिसने जीवन-शक्ति के इस ख़ज़ाने पर नियंत्रक बहाल कर रखे हैं? वह कौन है जो इस ख़ज़ाने से तरह-तरह के जीवधारी निकाल रहा है तथा ऐसे सही अनुपात से निकाल रहा है कि न उसमें कभी अधिकता होती है न कमी?''

(इस्लाम और बर्थ-कंट्रोल, मौलाना मौदूदी (रह०) पृष्ठ 122-24)

संसार के विशिष्ट वैज्ञानिक भी अब इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि वास्तव में इस जगत का एक नियंता है जिसने इसकी रचना की है तथा जिसके सशक्त अधिकार में यह इस प्रकार जकड़ा हुआ है कि उससे विमुख होने की उसमें न तो शक्ति ही है और न ही वह साहस कर सकता है।

इन वैज्ञानिक तथ्यों के सामने होते हुए भी तथा माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों के काल्पनिक होने और प्रायोगिक कसौटी पर ग़लत प्रमाणित होने के बावजूद बर्थ-कंट्रोल को एक आन्दोलन के रूप में चलाने तथा उसे निरंतर जारी रखने के संकल्प से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसके पीछे वास्तविकता की परख तो है नहीं, बल्कि उसके कारक कुछ अन्य उद्देश्य हैं, जिनका स्पष्टीकरण इस आन्दोलन के जनक अपने हितों के विरुद्ध समझते हैं। इसलिए उन्हें छिपाकर रख लिया है और मात्र ग़रीबी का भय, विनाश की त्रासदी एवं मृत्यु-भय उत्पन्न करके सशक्त प्रचार के द्वारा इस आन्दोलन को निरंतर जारी रखे हुए हैं।

बर्थ कंट्रोल संसार में फैल चुका है। इसका प्रचार-प्रसार एक आन्दोलन के रूप में किया जा रहा है। वर्तमान में इसका संरक्षण संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में है और सारे संसार को विशेष रूप से एशिया तथा अफ़्रीक़ा के देशों से इसको अपनाने व जनप्रिय बनाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

वास्तव में इस प्रकार की योजनाएं ऐसे लोगों के द्वारा आरंभ की गईं, जो यह समझ बैठे हैं कि यह सृष्टि अपने आप बन गई और अपने आप चल रही है। संसार में मनुष्य भी इसी प्रकार पैदा हो जाते हैं। अतः जो लोग अपने मां-बाप की मूर्खता के कारण, पहले पैदा हो चुके हैं, उनकी बुद्धिमत्ता का तक़ाज़ा है कि वे अपने बाद आने वालों के लिए सारे रास्ते बन्द कर दें।

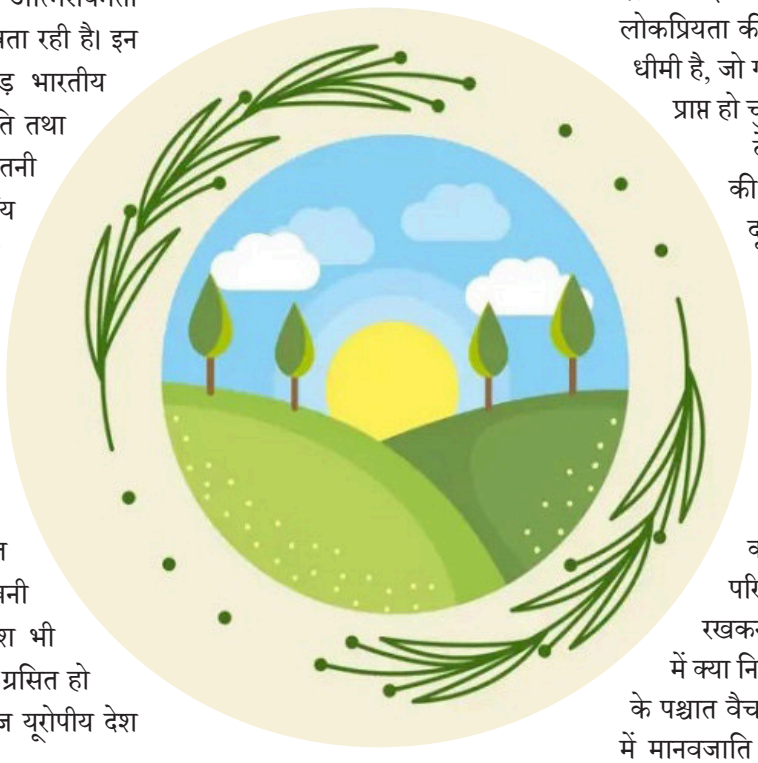
अनेक सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ कि बर्थ-कंट्रोल ने समाज में यौन अराजकता के माहौल को जन्म दिया है। यौन अराजकता हर हाल में धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों के पतन का कारण बनती है। वे देश जो जनसंख्या नियंत्रण की चपेट में हैं, भारतवर्ष भी सम्मिलित है।

भारतवर्ष यूं तो संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इस दृष्टि से उसे आधारभूत महत्व प्राप्त है। इस देश के प्राचीन इतिहास से लेकर आज तक की दशा एवं स्वभाव का अध्ययन बताता

> **ऐसे लोग उन काल्पनिक दर्शन और षड्यंत्रकारी आन्दोलनों में कोई आकर्षण महसूस नहीं करते। बल्कि ऐसे लोग आधुनिक विज्ञान के अनुसंधानों और आविष्कारों को देखते हैं तो उनके विश्वास में और अधिक दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है और ईश्वर की असाधारण क्षमता, उसकी तत्वदर्शिता और सर्वज्ञता पर दृढ़विश्वास हो जाता है।**

है कि इस देश की अंतरात्मा ही में धार्मिकता के तत्व सम्मिलित रहे हैं। इस देश में सदा ही से संसार को मायाजाल माना गया है। उच्च नैतिक मूल्य, आत्मिक पवित्रता एवं आत्मसंयमता इसकी सांस्कृतिम विशेषता रही है। इन विशिष्ट गुणों की पकड़ भारतीय समाज, यहां की संस्कृति तथा लोगों की चेतनाओं पर इतनी प्रबल है कि दो सौ वर्षीय अंग्रेज़ी शासनकाल में उनके नास्तिक दर्शनों की शिक्षा भी इन विशेषताओं से भारतवर्ष को वंचित नहीं कर सकी। हमारी यही वे आधारभूत विशेषताएं हैं जो आज भी हमारे देश की रक्षक बनी हुई हैं। अन्यथा यह देश भी उन नैतिक बीमारियों में ग्रसित हो चुका होता, जिनसे आज यूरोपीय देश ग्रसित हैं।

भारतीय संस्कृति की रग-रग में आत्मा की भांति धार्मिकता प्रवाहित है। इस देश में दो सबसे बड़े धर्म, हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म, आबाद हैं। दोनों ही इस संसार तथा मानव को ईश्वर की कृति होने पर विश्वास रखते हैं। दोनों इस बात पर भी विश्वास रखते हैं कि संतान ईश्वर की अमानत और उसकी देन है। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि प्रत्येक



बच्चा अपनी आजीविका लेकर स्वयं पैदा होता है तथा दोनों आने वाले बच्चों को रोकना घोर पाप समझते हैं। ये इतनी दृढ़ आस्थाएं हैं जिनके कारण बर्थ-कंट्रोल का अभियान यहां सर्वमान्य एवं लोकप्रिय नहीं हो रहा है। इसलिए कि इस देश में जनसाधारण के धर्म एवं नैतिकता को छेड़े बिना इस अभियान को जारी रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। अतः इस देश में इस अभियान की लोकप्रियता की गति उस गति से बहुत धीमी है, जो गति उसे पाश्चात्य देशों में प्राप्त हो चुकी है।

देश में खाद्यान्न संकट की कोई भी संभावना दूर-दूर तक नज़र नहीं आती। साथ ही इसमें और अधिक वृद्धि की अपार संभावनाएं अभी मौजूद हैं। अब यह निर्णय लेना जनता तथा हमारी लोकतांत्रिक सरकार का कार्य है कि उसे अपनी परिस्थितियों को सामने रखकर बर्थ-कंट्रोल के मामले में क्या निर्णय लेना है? सैकड़ों वर्ष के पश्चात वैचारिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में मानवजाति के मार्गदर्शन व नेतृत्व का जो सुअवसर हमारे हाथ आने की संभावना उत्पन्न हो रही है, उससे वंचित रहना विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता का तक़ाज़ा नहीं है। ■■

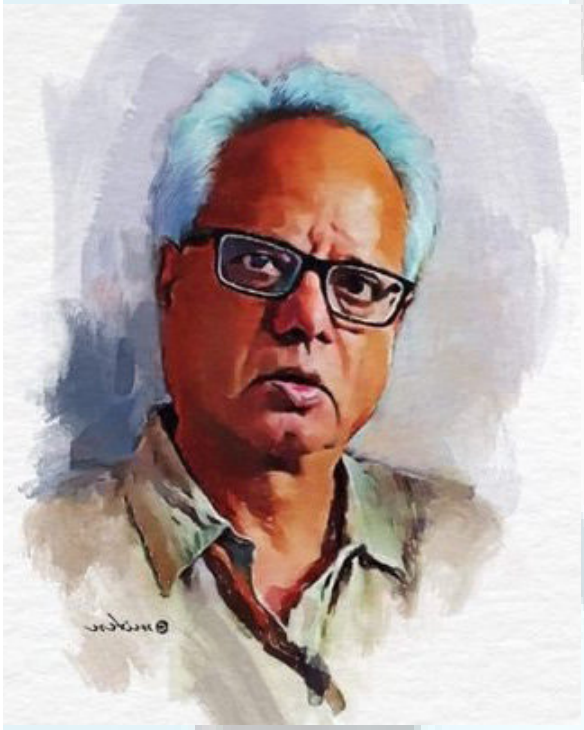
(यह लेख प्रो. उमर हयात खां ग़ौरी की पुस्तक "बर्थ-कंट्रोल के घातक परिणाम" पर आधारित)

कविता



कृष्ण कल्पित

मनुष्यता का रिपोर्टर



मनुष्यता का रिपोर्टर
कृष्ण कल्पित
अमिताभ के लिए

जब सारे कविगण
पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे
पुरस्कार प्राप्त करके लौटा रहे थे
लौटाकर पुनः पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे

तब टोली से बिछुड़ा हुआ कवि काम आया
एक गुमशुदा कवि
जो 1980 से ग़ायब था

वह आया
जब सर्वाधिक ज़रूरत थी एक कवि की
इतनी लंबी सांस किसी ने नहीं खींची होगी
किसने लगाई होगी इतनी लंबी घात

वह आया
ग़रीबी की तप्त कर्क रेखा से गुज़रते हुए
मेलों-ठेलों गंदी-बस्तियों गांव-शहर
और उजड़ती जा रही आबादियों की भयानक ख़बरों के साथ

दुश्मनों के तमाम दस्तावेज़ों के साथ
वह एक कवि
जो हर रोज़ एक पोएट्री फ़ाइल करता था
मनुष्यता का एक रिपोर्टर!



with best compliment from

C Four Educational Hyderabad

"और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने घोषणा कर दी कि "वह क़ियामत के दिन तक लगातार ऐसे लोग इसराईलियों पर नियुक्त करता रहेगा जो इनको बहुत ही भारी अज़ाब देंगे। " यक़ीनन तुम्हारा रब सज़ा देने में जल्दी करता है और यक़ीनन ही वह माफ़ी और दया से भी काम लेने वाला है।

(क़ुरआन, 7:167)

राजद्रोह क़ानून और

विधि आयोग का कुतर्क



समसामयिक



जितेंद्र गौतम

विधि आयोग की यह सिफ़ारिश कि राजद्रोह क़ानून को बरक़रार रखा जाए, न केवल वर्तमान न्यायिक सोच के विपरीत है बल्कि यह उसकी औनिवेशिक रूढ़िवादी मानसिकता को भी दर्शाती है। हाल में जारी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने वर्ष 1870 में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ विद्रोह रोकने के लिए भारतीय दंडसंहिता (आईपीसी) में शामिल हुए इस राजद्रोह क़ानून (124-ए) को न केवल बहाल रखने, बल्कि इस अपराध के लिए सज़ा को तीन से बढ़ाकर सात साल करने की भी शिफ़ारिश की है। यानी जहां इस धारा में कम से कम तीन साल की सज़ा का प्रावधान है, वहीं आयोग कम से कम सात साल की सज़ा की सिफ़ारिश करता है।

ग़ौरतलब है कि गत वर्ष देशद्रोह के लंबित मामलों को ठंडे बस्ते में रखते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि "आईपीसी की धारा 124ए की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है।'' न्यायालय ने इस धारा के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। उसके पांच माह बाद विधि आयोग द्वारा इस क़ानून की समीक्षा का काम शुरू किया किया गया। रिपोर्ट में इंग्लैंड के विधि आयोग की रिपोर्ट का भी उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि यह क़ानून अभिव्यक्ति की आज़ादी पर डरावना प्रभाव डालता है। आयोग ने माना कि तमाम विकसित देशों ने इसे ख़त्म कर दिया है। इंग्लैंड ने इसे 2009 में ख़त्म कर दिया।

भारत में राजद्रोह के क़ानून का एक लंबा और कुख्यात इतिहास रहा है। 153 साल पहले इस क़ानून को भारतीय

दंडसंहिता में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ बोलने वाले भारतीयों की आवाज़ को दबाना था, क्योंकि सरकार विरोध या विरोध की कोई आवाज़ नहीं चाहती थी। धारा 124-ए की शब्दावली स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक सरकार की मंशा को प्रकट करती है, लेकिन भारत में आज भी इसे बहाल रखने और सख़्त बनाने की सिफ़ारिश और इसके समर्थन में दिए गए विधि आयोग के तर्क हैरान करते हैं। उदाहरण के लिए "यह क़ानून दमनकारी अंग्रेज़ी शासन का क़ानून है, आज़ाद भारत में इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए,'' आयोग ने इस तर्क को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि तब तो पूरा आईपीसी ही अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। आयोग की यह बात समझ से परे है कि यह संदर्भ 'देशद्रोह क़ानून' का है न कि सामान्य अपराधों का।

एक लोकतांत्रिक गणराज्य में जहां लोगों को एक बुरी सरकार को बदलने की आज़ादी है, सरकार के प्रति असंतोष अपराध नहीं हो सकता। वास्तव में, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अनुभव का एक हिस्सा है। इसलिए इसे अपराध बनाना सीधे तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विपरीत है। हम नागरिकों से बुरी सरकार का समर्थन करने की उम्मीद नहीं कर सकते।

भारतीय दंडसंहिता यानी आईपीसी की धारा 124-ए राजद्रोह को एक कठोर दंडनीय अपराध बनाती है। कमोबेश सभी विकसित और लोकतांत्रिक देशों ने इस क़ानून को अपने यहां से ख़त्म कर दिया है। भारत में भी इस क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ें मुखर रही हैं। इस क़ानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं भी दायर की गईं।

राजद्रोह सरकार के ख़िलाफ़ अपराध है न कि देश के ख़िलाफ़। वर्ष 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस क़ानून के तहत सभी मौजूदा कार्यवाहियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था और केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द इस क़ानून की समीक्षा का आश्वासन देने पर नए मामलों के पंजीकरण पर भी रोक लगा दी थी। न्यायालय का स्थगन आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए था कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस क़ानून का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया। केंद्र सरकार ने भी इस क़ानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का फ़ैसला किया।

इस संबंध में विधि आयोग ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट में आमतौर पर देशद्रोह के बारे में उठाई जाने वाली चिंताओं को दूर करने के बजाए इसके दुरुपयोग और इसकी प्रासंगिकता के समर्थन में घिसे-पिटे तर्कों को दोहराया है। आयोग का कहना है कि क़ानून का दुरुपयोग इसे वापस लेने का कोई आधार नहीं है। साथ ही उसने भारतीय दंडसंहिता की धारा 124ए को न केवल बरक़रार रखने बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस अपराध के लिए दंड की अवधि बढ़ाने की भी सिफ़ारिश की है।



वास्तविकता यह है कि यह क़ानून अपने जन्म से ही दुरुपयोग की व्यापक संभावनाओं को जन्म देता रहा है। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन करता है और सरकार को मामूली आधार पर किसी को गिरफ़्तार करने की ताक़त देता है। सरकारें अक्सर असंतोष को दबाने और आलोचकों को क़ैद करने के इरादे से इस क़ानून का दुरुपयोग करती हैं। इसलिए विधि आयोग की रिपोर्ट के बावजूद हमारी व्यवस्थापिका को इस संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस क़ानून के अनुचित प्रावधानों को निरस्त करने पर विचार करना चाहिए। मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध की वैधता को साबित करने के लिए क़ानूनी प्रावधानों को न्यायिक सिद्धांतों के आलोक में देखा जाना ज़रूरी है। ■■

(लेखक विधि व्यवसायी और क़ानूनी मामलों के जानकार हैं)

हक़ीक़त को बयां करने वाली “अफ़वाह”



समीक्षा

डॉ. प्रदीप कुमार

‘द केरला स्टोरी’ और ‘द कश्मीर फाइल्स’ को देखकर ग़फलत में पड़े भारतीयों की आंखे खोलने के लिए फिल्म “अफ़वाह” एक सशक्त माध्यम साबित हो सकती है। फेक न्यूज़ के साथ-साथ यह फिल्म पुलिसिया भ्रष्टाचार, कार्य स्थल पर यौन शोषण, सांप्रदायिकता, लव जिहाद और गोतस्करी जैसे मुद्दों पर भी मुखर होकर बात करती है।

तीन-तीन राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित और मुद्दों पर आधारित फ़िल्में बनाने के लिए जाने जानेवाले फ़िल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा की फ़िल्म ‘अफ़वाह’ ने न्यूज़ की ओट में फैलाई जा रही सांप्रदायिकता पर जो तल्ख़ी व्यक्त की है वह सभ्य समाज के लिए विचारणीय होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को किस संगठित और सुनियोजित ढंग से ट्रेंड करवाया जाता है, यह देखकर आपके रोंगते खड़े हो सकते हैं।

‘द केरला स्टोरी’ और ‘द कश्मीर फ़ाइल्स’ को देखकर ग़फ़लत में पड़े भारतीयों की आंखें खोलने के लिए फ़िल्म “अफ़वाह’’ एक सशक्त माध्यम साबित हो सकती है। फेक न्यूज़ के साथ-साथ यह फ़िल्म पुलिसिया भ्रष्टाचार, कार्य स्थल पर यौन शोषण, सांप्रदायिकता, लव-जिहाद और गो-तस्करी जैसे मुद्दों पर भी मुखर होकर बात करती है।

अफ़वाहों की भयावहता को केंद्र में रखते हुए यह फ़िल्म इस दौर की विडंबनाओं को रेखांकित करने की एक सच्ची कोशिश है, लेकिन किसी अज्ञानता से उपजी अफ़वाह नहीं, बल्कि सोची-समझी और प्रायोजित अफ़वाह। जो किसी ख़ास और बुरे मक़सद से फैलाई जाती है। आज टेक्नोलॉजी ने अफ़वाह के प्रभाव का दायरा बढ़ा दिया है और इसके फैलने की रफ़्तार तेज़ कर दी है। अब अफ़वाह बिगाड़ का एक बड़ा हथियार है।

मौजूदा दौर में ये फ़िल्म शायद इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फेक न्यूज़ और अफ़वाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। फ़िल्म आज के सोशल मीडिया के दौर की पोल अच्छे से खोलती है और आप इससे ख़ुद को जोड़ पाते हैं। फेक न्यूज़ की असल सच्चाई को जानने के लिए हमें यह फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए।

अफ़वाहों की भयावहता को केंद्र में रखते हुए यह फ़िल्म इस दौर की विडंबनाओं को रेखांकित करने की एक सच्ची कोशिश है, लेकिन किसी अज्ञानता से उपजी अफ़वाह नहीं, बल्कि सोची-समझी और प्रायोजित अफ़वाह। जो किसी ख़ास और बुरे मक़सद से फैलाई जाती है। फ़िल्म आज के सोशल मीडिया के दौर की पोल अच्छे से खोलती है और आप इससे ख़ुद को जोड़ पाते हैं।

अफ़वाह एक ऐसा विध्वंसक शस्त्र है, जिसकी चपेट में आने के बाद मानसिक क्षति से लेकर शारीरिक हिंसा तक, हर बुरी चीज़ मुमकिन है। अफ़वाहों के चलते मासूमों की जान चली जाने के सैकड़ों उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। जैसा कि शीर्षक से ही ज़ाहिर है, फ़िल्म की कहानी का केंद्र बिन्दू एक अफ़वाह है। फ़िल्म में वो ख़ूनी खेल शुरू होता है, जिसकी जड़ में ख़ूब सोच-समझकर फैलाई गई एक अफ़वाह है।

फ़िल्म के ज़रिये यह बताया गया है कि किसी घटना को तोड़मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाले जब अपनी हदें पार कर जाते हैं तो उसका लोगों पर कैसा विध्वंसकारी प्रभाव पड़ता है।

फेक न्यूज़ या अफ़वाह फैलाने का तंत्र कितने सुनियोजित ढंग से काम करता है ये देखकर दहशत होती है। आप चाहकर भी इसके शिकंजे से बच नहीं सकते। अफ़वाहों को दंगे में बदलते देखना भारतवासियों के लिए नया नहीं है। फ़िल्म फेक न्यूज़ की भयावहता से हमें पूरी तरह से परिचित करवाती है। फ़िल्म यह तो बताती ही है कि जनता को आहत करना कितना आसान है और साथ ही यह भी बताती है कि ऐसे आहत की गई जनता के कोप को नियंत्रित करना अक्सर बस से बाहर की बात हो जाती है। भड़काया गया समूह कभी भी उस भस्मासुर में तब्दील हो सकता है, जो ख़ुद अपने आपको ही भस्म कर बैठे।

जिनकी आंखों पर नफ़रत की पट्टी बंधी हो, वो अपनों को भी नहीं बख़्शते। पराये तो छोड़ो वो अपनों को भी मिट्टी में मिला देते हैं। फ़िल्म इस बिन्दू को पुरज़ोर ढंग से स्थापित करती है। यही इस फ़िल्म की सबसे बड़ी कामयाबी है।

फ़िल्म की कहानी में एक अफ़वाह है जो नवाज़ुद्दीन सिद्दिक़ी और भूमि



निर्देशक : सुधीर मिश्रा

निर्माता : अनुभव सिन्हा

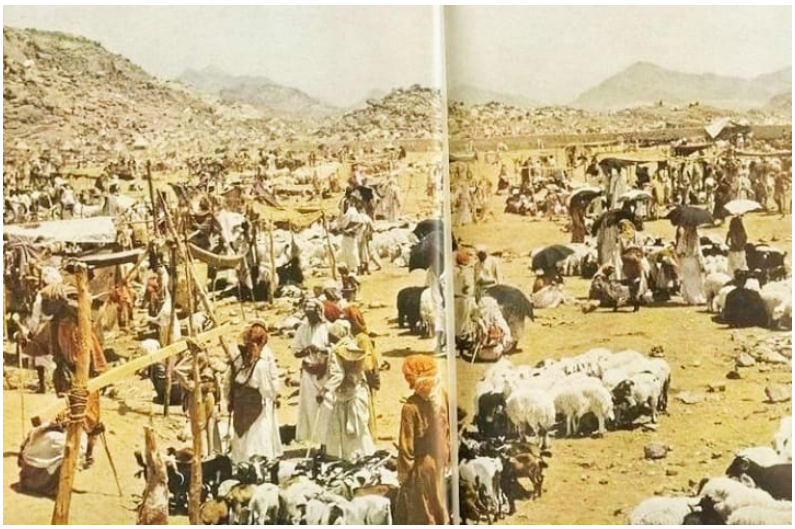
पेडनेकर के बारे में फैलाई जाती है। नवाज़ का किरदार मुस्लिम धर्म का है और भूमि हिंदू धर्म से है। एक आकस्मिक घटना के परिणामस्वरूप भूमि को ख़तरे से बचाने के लिए नवाज़ को उसे अपनी कार में बिठाकर भागना पड़ जाता है, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब यह मामला लव-जिहाद का बन जाता है। एक वीडियो वायरल होता है और दोनों भागे-भागे फिरते हैं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स चौंकाता नहीं, मगर राहत देता है।

फ़िल्म "अफ़वाह" महज़ एक थ्रिलर फ़िल्म नहीं, बल्कि हमें सावधान करने के लिए एक चेतावनी है। इसलिए इस चेतावनी की ध्वनि को हम सभी को सुनना चाहिए। एक अफ़वाह कितनी ख़तरनाक हो सकती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्म बताती है कि एक ग़लत अफ़वाह कितना नुक़सान कर सकती है और कैसे किसी देश और समाज पर बहुत भारी पड़ सकती है।

प्रोपेगेंडा बेस्ड फ़िल्मों से इतर यह फ़िल्म सोशल मीडिया की सच्चाई को बयान करती है। इस फ़िल्म में विभिन्नताओं वाले भारतीय समाज के लिए यह संदेश छुपा है कि ख़बरों की सच्चाई को जाने बिना एक क़दम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो छल, फ़रेब और धोखा है, वह एक ऐसी गहरी खाई के समान है, जिसमें गिरकर बचना बेहद कठिन है। कथावस्तु की दृष्टि से फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया के ज़रिये छल और फ़रेब को चित्रित करने वाली यह फ़िल्म स्वागतयोग्य है। ■■

ईद-उल-अज़हा के अवसर पर विशेष

पशु-बलि : दुनिया की सार्वभौमिक परम्पराओं में से एक



विशेष आयोजन



डॉ. अब्दुल रशीद अगवान

ईद-उल-अज़हा (बक़रीद) को व्यापक रूप से जानवरों की बलि के उत्सव के रूप में देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह दिन हज को पूरा करने का पैग़ाम भी देता है, हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के अंतिम हज के उपदेश में मानवाधिकारों की पहली नियमावली के जारी होने की याद भी दिलाता है और हज के रूप में एक जगह पर संसार की सभी जातियों और देशों के लोगों के एक वैश्विक सम्मेलन के रूप में मानव एकता का प्रतीक भी है। यह दिन हज़रत इब्राहिम, जो कि सेमेटिक लोगों के संयुक्त पूर्वज हैं, से भी पहले की कुछ परंपराओं की निरंतरता का भी स्मरण है जो हज़रत आदम और उनके परिवार से शुरू हुई थी।

आदम के दो बेटों, हाबिल (हाबिल) और क़ाबिल (कैन), की कहानी बाइबिल (उत्पत्ति, 3:21, 4:4) और क़ुरआन (5:27-31) में वर्णित की गई है। इस कहानी में हाबिल की दी गई क़ुर्बानी के स्वीकार होने और क़ाबिल की क़ुर्बानी के अस्वीकार होने की घटना मिलती है। अपनी ग़लत सोच पर पश्चाताप करने के बजाए, नाराज़ बड़े भाई क़ाबिल ने अपने छोटे भाई हाबिल को क़त्ल कर दिया। शायद वह जगह मीना नाम का वही स्थान था जहां आज भी हज के मौक़े पर क़ुरबानी दी जाती है।

कपिल स्मृति (श्लोक 1) में इसी तरह का एक संदर्भ मिलता है, जिसमें मनु के दो पुत्रों का नाम शौनक (अर्थात् वह जिसका वध हुआ हो) और कपिल मिलता है और उस स्थान का नाम जहां शौनक का वध हुआ उसका नाम मीना बताया गया है। दोनों वृतांतों की समानता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कपिल स्मृति में जिस मीना का ज़िक्र हुआ है वह यही जगह है जहां आज भी हज के अवसर पर क़ुरबानी दी जाती है।

मनुष्य ने जब गांव बनाकर रहना सीखा तो अपने शिकार युग के साथी कुत्ते के बाद जानवरों में सबसे पहले भेड़ और बकरी को साधा और उन्हें अपने साथ रखना शुरू किया और उनसे अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी कीं। यह शुरुआत वर्तमान समय से लगभग 12000 वर्ष पहले हुई थी। इनका इस्तेमाल दूध, मांस, बाल और खाल के अलावा अतिथि सत्कार, आम उत्सव और धार्मिक दायित्वों को

पूरा करने की परंपरा के लिए होने लगा।

जानवरों की बलि का इशारा करने वाले कुछ प्राचीन पुरातत्वीय प्रमाण प्राचीन मिस्र से आते हैं। प्राचीन मिस्र के दफ़न जानवरों के अवशेषों की खुदाई ऊपरी मिस्र की बदरी संस्कृति से की गई है जो कि 4400 और 4000 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। युद्ध के लिए घोड़े की बलि प्राचीन काल में भी प्रचलित परंपरा रही थी, विशेष रूप से इंडो-यूरोपियन भाषा बोलने वालों के बीच। रथ का दफ़न भी एक प्राचीन अनुष्ठान था, जिसमें पूरे रथ को घोड़ों के साथ या उनके बिना दफ़नाया जाता था। इस तरह की प्रथा को सबसे पहले 2000 ईसा पूर्व रूस के सिंताश्ता-पेरोवका संस्कृति में प्रचलित पाया गया।

विकिपीडिया के अनुसार, 'क़ोरबान' यहूदियों द्वारा दिए गए कई प्रकार के बलिदानों में से एक है, जैसा कि तौरात में वर्णित और आदेशित किया गया है। यहूदी परंपरा में पशुओं का सबसे आम उपयोग बलि (ज़ेवह) है, जिसमें ज़ेवह शालिम (शांति के लिए) और ज़ेवह ओलह (संकट के लिए) शामिल हैं। कोरबान का सामान्य अर्थ पशुबलि था, जैसे कि बैल, भेड़, बकरी या कबूतर जो शचीता (यहूदी अनुष्ठान वध) से गुज़रता था। इसी हिब्रू शब्द से अरबी में 'क़ुरबानी' शब्द का समावेश हुआ।

बाइबिल के नया नियम में यीशु के माता-पिता द्वारा दो कबूतरों (dove) की बलि के बारे में सूचना मिलती है (लूका 2:24)। मसीह के सलीब पर दिये गये बलिदान को बड़े पैमाने पर ईसाई परंपरा में मानवता के सभी पापों के लिए एक प्रतिस्थापन बलि के रूप में समझा गया है और इसलिए इसके बाद किसी पशुबलि की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। फिर भी, कुछ ईसाई वर्गों ने विशेष रूप से ईस्टर के अवसर पर इसे जारी रखा। आज भी, ग्रीस के कुछ गांवों में 'क़ुरबानिया' नामक त्योहार के समय रूढ़िवादी संतों के नाम पर जानवरों की बलि देने का रिवाज है।

अर्मेनियाई चर्च, इथियोपिया के ट्वेहेडो चर्च और इरिट्रिया, माया लोक कैथोलिक मत, चर्च ऑफ़ जीसस क्राइस्ट ऑफ़ लैटर डे सेंट्स और कुछ अन्य समुदायों में पशु बलि की स्थापना पाई जाती है। हालांकि जानवरों की बलि ईसाइयों के बीच सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन यह स्थिति उन्हें मांसाहारी भोजन का विकल्प चुनने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है।

आदम के दो बेटों, हाबिल (हाबिल) और क़ाबिल (कैन), की कहानी बाइबिल (उत्पत्ति, 3:21, 4:4) और क़ुरआन (5:27-31) में वर्णित की गई है। इस कहानी में हाबिल की दी गई क़ुर्बानी के स्वीकार होने और क़ाबिल की क़ुर्बानी के अस्वीकार होने की घटना मिलती है। अपनी ग़लत सोच पर पश्चाताप करने के बजाए, नाराज़ बड़े भाई क़ाबिल ने अपने छोटे भाई हाबिल को क़त्ल कर दिया। शायद वह जगह मीना नाम का वही स्थान था जहां आज भी हज के मौक़े पर क़ुरबानी दी जाती है।

सिंधु सभ्यता में जल-भैंस की बलि के अनुष्ठान का प्रचलन था, जो तब भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया था। Harrapa.com पर एक ब्लॉग सूचित करता है-"शुरुआती हड़प्पा संस्कृतियां लगभग 3000 ईसा पूर्व में पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ने लगीं और बाद में इन्हीं दिशाओं में इनके प्रभाव की लहरें सिंधु सभ्यता से आईं। हड़प्पाकाल में उस समय का हड़प्पाई जल-भैंस पंथ प्रायद्वीपीय भारत तक पहुंच चुका था, जिसका प्रमाण 1974 में महाराष्ट्र के दक्षिणतम स्थल दाइमाबाद की पुरातत्वीय खोज में मिली पानी की बड़ी भैंस की कांस्य की मूर्ति से मिलता है। दक्षिण भारत में, अपेक्षाकृत हाल तक, ग्राम देवियों को जल-भैंस के बलिदान के माध्यम से पूजा जाता है। देवी देवताओं को एक पुरुष देवता के साथ जोड़ा जाता है, जिन्हें भैंस राजा कहा जाता है, जो लकड़ी की चौकी या पत्थर के बने खंभे या पीपल के पेड़ के द्वारा दर्शाया जाता है।

शाक्तमत के अनुयायी पशु बलि को अपनी आस्था का एक अभिन्न अंग मानते हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम और भारत के कुछ पहाड़ी हिस्सों में प्रचलित है। नलगोंडा ज़िले में एक दूरस्थ आदिवासी बस्ती में अप्रैल 2016 में बड़े पैमाने पर पशु बलि का मामला सामने आया था। कथित तौर पर, आदिवासी लोगों ने उस समय 100 से अधिक बैलों का वध कर दिया, ताकि उनकी देवी कंकाली भवानी को प्रसन्न किया जा सके जिसे स्थानीय लोग अंकलम्मा कहते हैं।

विकिपीडिया के अनुसार, राजस्थान के कुछ राजपूत समुदाय नवरात्रि पर अपने हथियारों और घोड़ों की पूजा करते हैं। हालांकि यह प्रथा अब लगभग छोड़ दी गई है, मगर पूर्व में इस अवसर पर कुलदेवी को एक बकरे की बलि की पेशकश देने का रिवाज था, जो कुछ जगहों पर अभी भी दिखाई देता है।

असम और पश्चिम बंगाल में और नेपाल में भी ऐसे मंदिर हैं जहां बकरियों, मुर्गियों और कभी-कभी जल भैंसों की बलि दी जाती है। काल्कि पुराण क्रमशः बलि (छोटी बलि) और महाबली (महान बलि) को बकरी और हाथी की बलि के रूप में अलग-अलग किया गया है।

मनुस्मृति (5:22) में बलि के अनुष्ठानों का वर्णन है। यजुर्वेद, रामायण और महाभारत में अश्वमेध अनुष्ठान को एक प्राचीन प्रथा के रूप में वर्णित किया गया है। केरल में उत्तर मालाबार क्षेत्र का एक लोकप्रिय अनुष्ठान थेयम देवों के लिए रक्त की पेशकश है। नेपाल में सबसे बड़ी पशुबलि तीन दिवसीय गाधीमाई उत्सव के दौरान होती है, जिसे नेपाल सरकार ने वर्ष 2015 में प्रतिबंधित कर दिया।

पारंपरिक अफ़्रीक़ी और अफ़्रीक़ी-अमेरिकी धर्मों में पशुबलि का काफ़ी प्रचलन है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दो ऐतिहासिक फ़ैसले हैं, जो पशुबलि के अनुष्ठान पर अमल करने के लिए वहां के कुछ अल्पसंख्यकों के अधिकार को बरक़रार रखते हैं।

सिखों में, केवल निहंग संप्रदाय पशु बलि देता है। पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाले समुदाय बौद्ध और जैन हैं। हालांकि, सिख और बौद्ध अपने आहार में मांसाहार का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह केवल जैन धर्म है जो मांसाहारी जीवन को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है।

ईद-उल-अज़हा के आसपास भारत में पशुबलि एक सांप्रदायिक चर्चा का विषय बना दी जाती है। ईद के अवसर पर पशुबलि की प्रथा की आलोचना और उसे रोकने के लिए तीन वर्गों के चिंतक और कार्यकर्ता मुखर और कभी-कभी आक्रामक हो जाते हैं। इन्हें अहिंसावादी संप्रदाय, पशु अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह और गौ-रक्षा के चैंपियन के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, उनके तर्क और आंदोलन बड़े पैमाने पर भड़काऊ और पूर्वाग्रह पर आधारित होते हैं।

अहिंसा के अनुयायियों का कहना है कि पशुबलि को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जीवन विरोधी है। यहां सरासर उनकी अज्ञानता ही उजागर होती है, जब वे इस तथ्य से इन्कार करते हैं कि जीवन केवल पशुओं का मौलिक गुण नहीं है, यह पौधों और सूक्ष्मजीवों के लिए भी क़ीमती है। जब पेड़ गिराये जाते हैं, फ़सलों को काटा जाता है और फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जीवित चीज़ें मानव लाभ के लिए अपनी जान गंवा देती हैं।

जब एंटीबायोटिक्स दवाई ली जाती है, चाहे हर्बल सिरप के रूप में हो, अरबों-खरबों बैक्टीरिया, वायरस और अन्य जीवन रूप जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, मारे जाते हैं। जब कोई दही खाता है या पानी पीता है या खाना पकाता है, तो अरबों जीवन रूपों का सेवन या मरण साथ-साथ हो जाता है। कमोड के फ्लश में और फर्श धोने से जीवन के अरबों रूप नष्ट हो जाते हैं। आधुनिक युग के प्रथम प्रायोगिक भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस को उनके इस शोध के लिए भारत में ही नज़रअंदाज़ कर दिया गया है कि पौधे भी जीवित प्राणी हैं। हाल के कुछ अध्ययनों और प्रयोगों ने यह स्थापित किया है कि पौधों में न केवल ख़ुशी और कष्ट के बारे में भावनाएं होती हैं, बल्कि वे रासायनिक माध्यम से एक-दूसरे के साथ संसाधनों का संचार और अपनी भावनाओं को साझा भी करते हैं।

कुछ छद्म पर्यावरणविद् बहुत ठोस वैज्ञानिक शब्दजाल में बात कर सकते हैं, लेकिन वे एक पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में ऊर्जा संचयन, खाद्य-श्रृंखला और खाद्य-पिरामिड के सिद्धांतों की अनदेखी करते हैं। वे इस बात को नज़रअंदाज़ करते हैं कि मनुष्य जैविक रूप से सर्वभक्षी है।

कपिल स्मृति (श्लोक 1) में इसी तरह का एक संदर्भ मिलता है, जिसमें मनु के दो पुत्रों का नाम शौनक (अर्थात वह जिसका वध हुआ हो) और कपिल मिलता है और उस स्थान का नाम जहां शौनक का वध हुआ उसका नाम मीना बताया गया है। दोनों वृतांतों की समानता को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कपिल स्मृति में जिस मीना का ज़िक्र हुआ है वह यही जगह है जहां आज भी हज के अवसर पर क़ुरबानी दी जाती है।

पशु-अधिकार कार्यकर्ता दावा करते हैं कि भोजन और अनुष्ठान के लिए जानवरों को मारना अच्छी प्रथा नहीं है। हालांकि, उनके खोखले दावों का ख़ुलासा तब होता है जब वे शायद ही कभी विभिन्न प्रकार के पालतू जानवरों की मुक्ति के लिए बोलते हों। जानवरों का दूध जो न केवल अपने आप में एक मांसाहारी उत्पाद है, बल्कि उस दूध का मानवीय इस्तेमाल स्तनपान करने वाले युवा जानवरों के साथ भी एक तरह का अन्याय है। यदि मदारी द्वारा बंदर का पालन करना पशु-अधिकार का उल्लंघन है, तो कुलीन घरों में कुत्तों का पालन कैसे पुण्य का काम है? अगर सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल एक अत्याचार है तो पालतू जानवरों को पाल कर उनसे लाभ उठाना भी उसी स्तर का अपराध है। कुछ लोगों का यह पशु-प्रेम सिर्फ़ एक सांप्रदायिक अवसरवाद के रूप में सामने आता है और ईद-उल-अज़हा के मौक़े पर एक रस्म अदाएगी के रूप में भड़कता है।

ईद-उल-अज़हा के इस अवसर पर, विभिन्न विचारों के मानने वालों को आपसी सम्मान का एक सामाजिक वातावरण बनाना चाहिए। मुसलमानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके अमल से उन लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे जो जानवरों की बलि को उचित नहीं मानते हैं। क़ुरबानी को अपने घरों और इलाक़ों में सीमित करके और जानवरों की तस्वीरों और उनके रक्त को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित न करके वे ऐसा कर सकते हैं। आख़िर यह एक धार्मिक दायित्व है, दिखावे की बात नहीं है। उन्हें शाकाहार को एक अल्पसंख्यक की श्रेणी के रूप में भी देखना चाहिए, जिनके अधिकारों का बहुसंख्यकों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। 7 अरब से अधिक लोगों की दुनिया में, शाकाहारी लोगों की तादाद केवल 37 करोड़ है, अर्थात् केवल 5 प्रतिशत। इसलिए 95 प्रतिशत मांसाहारी बहुसंख्यकों को इस अल्पसंख्यक वेगेनिस्ट समुदाय की भावना का भी सम्मान करना चाहिए।

गौ-रक्षा के नाम पर सक्रीय लोग आमतौर पर जबरन वसूली करने वाले दल या सांप्रदायिक राजनीतिक समूह हैं जो स्पष्ट कारणों से पशु व्यापारियों पर हिंसक हमले करते हैं। गायों के लिए उनकी चिंता कई मामलों में नहीं देखी जाती। जब हज़ारों गायों की मौत निजी और सरकारी गौशालाओं में हो जाती है तो वे शायद ही आवाज़ उठाते हैं। वे शायद ही व्यस्त सड़कों और भीड़ भरे बाज़ारों में फंसी गायों के कल्याण में रुचि लेते हैं, जो अक्सर दुर्घटनाओं या बीमारियों से मर जाती हैं।

■■

"ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आपको और अपने अहलो अयाल को दोजख़ की आग से।" (क़ुरआन)
अल्लाह के रसूल ने फरमाया : "मॉ–बाप का बेहतरीन तोहफा अपने बच्चों की सही तालीम व तर्बीयत है।" (हदीस)

अल्लाह की बंदगी और अपने अहलो अयाल(परिवार) व बंदों के हक़ के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानने(समझने) के लिए कुरआन व हदीस, सीरत (नबी सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी), इस्लामी तारीख़(इतिहास) व हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी–इल्मी, फ़िक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला (अध्ययन) कीजिए ।

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

कुरआन मजीद – अरबी, मय तर्जुमा, तफसीर, हदीस, सीरतुन्नबी, सीरते सहाबा व सहाबियात, तारीख़े इस्लाम, बच्चों के लिए तर्बीयती किताबें, दावती लिट्रेचर, उर्दू–हिन्दी डिक्शनरी, पारा पेटी, रहल जायनमाज़ वगैरह ...

आर्डर पर हासिल करें ।

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	420/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH True Success Both Worlds

अल फलाह True Success Both Worlds

मेन रोड तलापार, राधावल्लभ वार्ड, करेली जिला–नरसिंहपुर(म.प्र.)

प्रो. अख़्तर नवाब
✆ 9926408118

मांस-सेवन : उचित या अनुचित?

आमतौर पर यह सवाल लोगों के मन में उठता है कि जानवरों की हत्या एक क्रूर निर्दयतापूर्ण कार्य है तो फिर मुसलमान मांस क्यों खाते हैं? शाकाहार ने अब संसार भर में एक आन्दोलन का रूप ले लिया है। बहुत से लोग तो इसको जानवरों के अधिकार से जोड़ते हैं। निस्संदेह लोगों की एक बड़ी संख्या मांसाहारी है और अन्य लोग मांस खाने को जानवरों के अधिकारों का हनन मानते हैं।

इस्लाम प्रत्येक जीव एवं प्राणी के प्रति स्नेह और दया का निर्देश देता है। साथ ही इस्लाम इस बात पर भी ज़ोर देता है कि ईश्वर ने पृथ्वी, पेड़-पौधे और छोटे-बड़े हर प्रकार के जीव-जन्तुओं को इन्सान के लाभ के लिए पैदा किया है। अब यह इन्सान पर निर्भर करता है कि वह ईश्वर की दी हुई नेमत और अमानत के रूप में मौजूद प्रत्येक स्रोत को वह किस प्रकार उचित रूप से इस्तेमाल करता है। आइए इस संबंध में कुछ मूलभूत प्रश्नों पर विचार करते हैं-

1. क्या एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी हो सकता है?

एक मुसलमान पूर्ण शाकाहारी होने के बावजूद एक अच्छा मुसलमान हो सकता है। मांसाहारी होना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है।

2. पवित्र क़ुरआन मुसलमानों को मांसाहार की अनुमति देता है?

पवित्र क़ुरआन मुसलमानों को मांसाहार की इजाज़त देता है। क़ुरआन की निम्नांकित आयतें इस बात का सुबूत हैं-

''ऐ ईमान वालो! अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। तुम्हारे लिए चौपाए जानवर जायज़ हैं, केवल उनको छोड़कर जिनका उल्लेख किया गया है।''

(क़ुरआन 5:1)

3. क्या हिन्दुओं के धार्मिक ग्रंथ भी मांसाहार की अनुमति देते हैं?

बहुत से हिन्दू शुद्ध शाकाहारी हैं। उनका विचार है कि धर्म-ग्रंथ इन्सान को मांस खाने की इजाज़त नहीं देते हैं। हालांकि इन्हीं धर्म-ग्रंथों में उन साधुओं और संतों का वर्णन है, जो मांस खाते थे।

• हिन्दू क़ानून पुस्तक मनुस्मृति के अध्याय-5 सूत्र-30 में वर्णन है कि-

''वे जो उनका मांस खाते हैं जो खाने योग्य हैं, कोई अपराध नहीं करते हैं, यद्यपि वे ऐसा प्रतिदिन करते हों, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने कुछ को खाने और कुछ को खाए जाने के लिए पैदा किया है।''

• मनुस्मृति में आगे अध्याय-5 सूत्र-31 में आता है-

''मांस खाना बलिदान के लिए उचित है, इसे दैवीय प्रथा के अनुसार देवताओं का नियम कहा जाता है।''

• आगे अध्याय-5 सूत्र-39 और 40 में कहा गया है कि-

''स्वयं ईश्वर ने बलि के जानवरों को बलि के लिए पैदा किया, अतः बलि के उद्देश्य से की गई हत्या, हत्या नहीं।''

4. क्या मांस पौष्टिक आहार है और प्रोटीन से भरपूर है?

मांसाहारी खाने भरपूर उत्तम प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। इसमें आठों आवश्यक अमीनों एसिड पाए जाते हैं जो शरीर के भीतर नहीं बनते और जिसकी पूर्ति आहार द्वारा की जानी ज़रूरी है। मांस में लोह, विटामिन बी-1 और नियासिन भी पाए जाते हैं।

5. क्या पेड़-पौधों में भी जीवन होता है?

कुछ धर्मों ने शुद्ध शाकाहार को अपना लिया क्योंकि वे पूर्ण रूप से जीव-हत्या के विरुद्ध हैं। यदि कोई मनुष्य जीव-हत्या के बिना जीवित रह सकता है, तो जीवन के इस मार्ग को अपनाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं । अतीत में लोगों का विचार था कि पौधों में जीवन नहीं होता। आज यह विश्वव्यापी सत्य है कि पौधों में भी जीवन होता है। अतः जीव-हत्या के संबंध में उनका तर्क शुद्ध शाकाहारी होकर भी पूरा नहीं होता।

6. क्या पौधों को भी पीड़ा होती है?

लोग आगे तर्क देते हैं कि पौधे पीड़ा महसूस नहीं करते, अत: पौधों को मारना जानवरों को मारने की अपेक्षा कम अपराध है। आज विज्ञान कहता है कि पौधे भी पीड़ा अनुभव करते हैं परंतु उनकी चीख़ मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य में आवाज़ सुनने की क्षमता 20 हर्टज़ से 20,000 हर्टज़ तक है। इस सीमा के नीचे या ऊपर होने वाली किसी भी आवाज़ को मनुष्य नहीं सुन सकता है। एक कुत्ते में 40,000 हर्टज़ तक सुनने की क्षमता है। लेकिन अब ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है, जो पौधों की चीख़ को ऊंची आवाज़ में परिवर्तित करती हैं, जिसे मनुष्य सुन सकता है।

इस्लाम में क़ुरबानी पर आक्षेप लगाते हुए लोग यह भूल जाते हैं कि क़ुरबानी की प्रथा और मांसाहार का सेवन सदा से होता आ रहा है। इस्लाम ने इस प्रथा को शुद्ध रूप में जारी रखा है।

■■

हज का महत्व और इसका संदेश



प्रकाश स्तंभ



नईम अल-हिन्दी

हिजरी सन में ज़िलहिज्जा का महीना हज (इस्लाम की एक उपासना, तीर्थयात्रा) का महीना होता है। यह महीना, सऊदी अरब के मक्का शहर में लाखों हज तीर्थयात्रियों के एकत्रित होने का महीना है। शताब्दियों से दुनिया भर के लोग मक्का जाते हैं ताकि हज जैसी पवित्र उपासना के लाभों से लाभान्वित हों तथा एकेश्वरवाद का अनुभव करें और एकेश्वरवाद के इतिहास को एक बार निकट से देखें। हज का महत्वपूर्ण पाठ, ईश्वर के सम्मुख अपनी दासता को स्वीकार करना है जोकि हज के समस्त संस्कारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

सवाल उठता है कि हज जैसी उपासना, जिसमें उपस्थित होने का अवसर सामान्यतः जीवन में एक बार ही प्राप्त होता है, क्या केवल विदित संस्कारों तक ही सीमित है, जिसे पूरा करने के पश्चात हाजी बिना किसी परिवर्तन के अपने देश वापस आ जाए?

नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह ईश्वर ही है जिसके आदेशों का पालन किया जाए और जिसके द्वारा मना किए गए कामों से रुका जाए। हज ईश्वर की प्रसन्नता की प्राप्ति का केन्द्र और इन्सानों के पश्चाताप का मार्ग है। इसलिए कहा जाता है कि हज का एक बाह्य रूप है और एक भीतरी रूप। ईश्वर ऐसे हज का इच्छुक है जिसमें हाजी उसके अतिरिक्त किसी अन्य से ''लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक...लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक...इन्नल-हम्दा वन्ने-मता लका वल-मुल्क, ला शरीका लका'' (अर्थात्, मैं हाज़िर (उपस्थित) हूं, हे! ईश्वर मैं हाज़िर हूं...मैं हाज़िर हूं, तेरा कोई साझी नहीं, मैं हाज़िर हूं... निःसंदेह हर तरह की प्रशंसा, सभी नेमतें और सभी संप्रभुता तेरी ही है। तेरा कोई साझी नहीं।) न कहे और उसके अतिरिक्त किसी अन्य को उपासना के योग्य न स्वीकार करे।

जो भी इस स्थान की यात्रा करता है उसे ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना से मुक्त होना चाहिए। एक उपासना के रूप में हज, मनुष्य पर सार्थक प्रभाव डालता है। हज के संस्कार, मनुष्य में उच्च मानवीय मूल्यों को विकसित करने और भौतिकता पर निर्भरता को दूर

''और लोगों में हज के लिए आम ऐलान कर दो कि वे हर ओर से तुम्हारी ओर आएं। ताकि वे उन लाभों को देखें जो वहां उनके लिए रखे गए हैं।''

(क़ुरआन, 22:27-28)

करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस महान यात्रा की प्रथम शर्त, हृदय की स्वच्छता है। अतः हृदय को ईश्वर के अतिरिक्त हर चीज़ से अलग करना चाहिए।

मनुष्य जब तक पापों में घिरा रहता है उस समय तक ईश्वर के साथ एकांत की मिठास का आभास नहीं कर सकता। ईश्वर से निकटता के लिए पापों से दूरी का संकल्प करना चाहिए। हज पापों को धोने का उपयुक्त अवसर है। इसलिए हज की यात्रा का आरंभ शुद्ध मन से करना चाहिए।

जिस तरह से ईश्वरीय धर्म इस्लाम ने मनुष्य की आत्मिक शुद्धता पर भरपूर ध्यान दिया है, हज में इसकी व्यापकता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ज़िलहिज्जा के महान महीने की पहली तारीख़ को हज यात्री ईश्वर के प्रेम व श्रद्धा में डूबे लाखों व्यक्तियों की आवाज़ से आवाज़ मिलाते हैं। ''लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक'' हे ईश्वर मैं उपस्थित हूं, यह पावन ध्वनि ईश्वरीय उपासना और प्रेम की वास्तविकता की सूचक है।

हज ईश्वर के समक्ष उपासना एवं बंदगी व्यक्त करने का एक ऐसा अवसर है और उसमें ऐसी महानता प्रदर्शित व प्रकट होती है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसकी महानता की अनुभूति के लिए हज के आध्यात्मिक महासम्मेलन में उपस्थित होकर उपासना के लिए माथे को ज़मीन पर रख देना चाहिए।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने जीवन के अंतिम हज के अवसर पर इन्सानों से भाईचारे और एकता का आह्वान किया तथा एक-दूसरे के अधिकारों का हनन करने से मना किया और कहा लोगो! मेरी बात सुनो शायद इसके बाद मैं तुम से इस स्थान पर भेंट न करूं। लोगो! सारी मानव जाति एक आदम और हव्वा की संतान है, एक अरब को एक ग़ैर-अरब पर कोई श्रेष्ठता नहीं है और न ही एक ग़ैर-अरबी को एक अरब पर कोई श्रेष्ठता है। गोरे को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं है और न ही काले को गोरे पर कोई श्रेष्ठता है-सिवाय ईशपरायणता और अच्छे कर्म के।

हज के हरेक संस्कार व कर्म का अपना एक महत्व है जो इसे विशेष अर्थ प्रदान करता है तथा हज करने वाले के भीतर गहरे परिवर्तन का कारण बनता है। हज में सफ़ेद वस्त्र धारण करने से लेकर सफ़ा व मरवा नाम की पहाड़ियों के मध्य तेज़-तेज़ चलने, काबे की परिक्रमा, अरफ़ात और मिना नाम के मैदानों में उपस्थिति तक क्रमशः हाजी उपासना के विभिन्न चरणों से होकर गुज़रता है ताकि उसके मस्तिष्क एवं व्यवहार में गहरा परिवर्तन उत्पन्न हो सके।

पवित्र क़ुरआन की इन आयतों में हर प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ शामिल हैं। दुनिया सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हज के विभिन्न लाभों को देख सकती है। अतः एक हज यात्री को यह जानना चाहिए कि वह कहां जा रहा है और ईश्वर ने उस पर कितनी बड़ी कृपा की है।

हज यात्रा आरंभ होने के साथ ही मन की मलिनता समाप्त होने लगती है। व्यक्ति हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त होने लगता है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने का एक रहस्य यही है कि मनुष्य रंग और हर उस चीज़ से दूर व अलग हो गया है जो सामाजिक एवं जातीय भेदभाव का सूचक हो।

अपने दुर्गुणों को दूर कर मनुष्य स्वयं को सर्वसमर्थ ईश्वर के निकट कर सकता है। हज की एक विशेषता यह है कि इस महान आध्यात्मिक यात्रा में मनुष्य ईश्वरीय भय एवं सामाजिक सदगुणों से सुसज्जित होता है। यह इस्लाम द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिये जाने का सूचक है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र क़ुरआन में जहां हज की बात करता है वहीं इसके अनगिनत लाभों का भी उल्लेख करता है। पवित्र क़ुरआन में ईश्वर का संदेश है-

''और लोगों में हज के लिए आम ऐलान कर दो कि वे हर ओर से तुम्हारी ओर आएं। ताकि वे उन लाभों को देखें जो वहां उनके लिए रखे गए हैं।''

(क़ुरआन, 22:27-28)

पवित्र क़ुरआन की इन आयतों में हर प्रकार के व्यक्तिगत, सामाजिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ शामिल हैं। दुनिया सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हज के विभिन्न लाभों को देख सकती है। अतः एक हज यात्री को यह जानना चाहिए कि वह कहां जा रहा है और ईश्वर ने उस पर कितनी बड़ी कृपा की है। हज यात्री को इसकी वास्तविकता को समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए ताकि वह इस महान यात्रा का आध्यात्मिक लाभ उठा सके और ईश्वर से निकट होने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। ■■

बीमार है लोकतंत्र की मां



मंथन

संपादन प्रभाग

दुनिया में 'लोकतंत्र की मां' के रूप में जाने जाने वाले भारत के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। 'लोकतंत्र की जननी' बुरी तरह बीमार है, इसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। ये विचार है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य मनोज कुमार झा के कहा है कि दुनिया में प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में गत दिनों 'डेमोक्रेसी, डिसेंट एंड सेंसरशिप' नामक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि, "यह मां पिछले नौ वर्षों में इतनी बीमार हो गई है कि इसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है।" जेएनयू के पूर्व शोधकर्ता उमर ख़ालिद के 1000 दिनों की जेल पर उन्होंने कहा कि, "उमर ख़ालिद उस जुर्म के लिए जेल में है जो उसने कभी किया ही नहीं।"

अपने भाषण में झा ने लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, "हमारे पास बहुत विचारशील और प्रतिबद्ध जज हैं लेकिन ज्यादातर वे इस प्रतिबद्धता को सेमिनारों में प्रदर्शित करते हैं। जब हम उन्हें सेमिनारों में सुनते हैं, तो हम अभिभूत महसूस करते हैं और आशा करते हैं कि वे हमारे देश को पूरी तरह से बदल देंगे, लेकिन जब मैं निर्णय देखता हूं, तो हमें प्रतिबद्धता और अच्छे शब्दों की कमी महसूस होती है। चाहे वह पूर्व न्यायाधीश हों या वर्तमान।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा, "उमर ख़ालिद या उसके साथियों सफूरा, मीरान या शरजील का क्या गुनाह है?"

उन्होंने उमर ख़ालिद द्वारा रंजीत गुहा के मृत्यु पर लिखे लेख का ज़िक्र करते हुए कहा, उमर ने टेलीग्राफ में लिखा, "वर्तमान समय अलग है और उम्मीद बहुत कम है। लेकिन बढ़ते सत्तावाद और बहुसंख्यकवाद

के हमारे दौर में भी जब लगता है कि सत्ता ने दुनिया को उल्टा कर दिया है, शब्दों के अर्थ उलटे हैं और खोखली भाषाएं हैं, तो हम गुहा के कार्यों के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ेंगे।"

प्रोफ़ेसर झा ने मारिया रसा द्वारा लिखित पुस्तक 'हाउ टू स्टैंड अप टू ए डिक्टेटर' का उल्लेख किया। उन्होंने मज़ाक में कहा, "इसका अपने वाले से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है।"

मारिया रसा ने लिखा है, "लोकतंत्र नाज़ुक है। आपको हर बिट, हर क़ानून, हर सुरक्षा, हर संस्था, हर कहानी के लिए लड़ना होगा। आपको पता होना चाहिए कि छोटे से छोटा घाव भी कितना ख़तरनाक होता है। यही कारण है कि हमें अपनी जगह पर खड़े रहना चाहिए।"

उन्होंने आशा व्यक्त की और कहा, "शायद जब हम अगले साल मिलेंगे, उमर यहां होंगे। जब मैं अगले साल कहता हूं, तो मैं अगले साल चुनाव का जिक्र नहीं करता। यह समयरेखा महज़ एक संयोग हो सकता है।"

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र संस्थानों का संगम है। उन्होंने कई सवाल किए, "संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं? विश्वविद्यालय कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं? हम उन संस्थानों से क्या उम्मीद करते हैं जहां हम जाया करते थे?"

उन्होंने आगे बताया, "जब हमें विधायिका में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जब कार्यपालिका निरंकुश हो जाती है, तो हम न्यायपालिका के पास राहत मांगने जाते हैं। फिर उन्होंने पूछा, "लेकिन क्या होता है जब आपको लगता है कि न्यायपालिका से राहत मांगने से भी मदद नहीं मिल रही है?"

उन्होंने आशा व्यक्त की, "कल्पना कीजिए, उमर स्वतंत्र होगा। इस मामले में गिरफ्तार सभी मुक्त होंगे।"

उन्होंने हिंदी कवि अवतार सिंह पाश को पढ़ा जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा धोखा है।

उन्होंने निराशा व्यक्त की, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी को भी उठा कर सलाखों के पीछे डाला जा सकता है।

प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना झा ने कहा, "यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, वास्तविकता यह है कि आप असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें एक मज़बूत प्रधानमंत्री कहा जाता है, यकीन मानिए, मैंने प्रचंड बहुमत होने के बावजूद इतना बेबस पीएम नहीं देखा।"

"हमारे पास बहुत विचारशील और प्रतिबद्ध जज हैं, लेकिन ज़्यादातर वे इस प्रतिबद्धता को सेमिनारों में प्रदर्शित करते हैं। जब हम उन्हें सेमिनारों में सुनते हैं, तो हम अभिभूत महसूस करते हैं और आशा करते हैं कि वे हमारे देश को पूरी तरह से बदल देंगे, लेकिन जब मैं निर्णय देखता हूं, तो हमें प्रतिबद्धता और अच्छे शब्दों की कमी महसूस होती है। चाहे वह पूर्व न्यायाधीश हों या वर्तमान।

प्रोफ़ेसर झा ने कहा, "हमने सुना है कि विधि आयोग को यह कहने के लिए मजबूर किया गया था कि राजद्रोह क़ानून में अधिक कठोर दंड की आवश्यकता थी। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें वित्तीय मामलों में फंसाया नहीं गया है, जैसे कि कार्यकर्ता और राजनेता जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।"

उन्होंने कहा, "जब पीएम को राष्ट्र के बराबर माना जाता है, तो पीएम की हर आलोचना को राष्ट्र की आलोचना के रूप में लिया जाएगा। हमें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा लेकिन यकीन मानिए कि इस शासन की समाप्ति की तारीख नज़दीक है।"

उन्होंने कहा कि, 1000 दिन की क़ैद प्रतिरोध और आशा के 1000 दिन हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, "हमारा प्रयास केवल उमर तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी राजनीतिक बंदियों के लिए है। हम उन सभी से जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि हम 'होल्डिंग द लाइन' से जुड़े हैं।"

उन्होंने एकजुटता के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने अपील की, 'झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में सोचिए, भीमा कोरेगांव के बारे में सोचिए।' उन्होंने कहा कि, भीमा कोरेगांव की लड़ाई स्मृति की लड़ाई है।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस लड़ाई को केवल राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "राजनीतिक दल अंक गणित करते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। उन्होंने अपील की कि इस विरोध को बंद नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने "हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे" नारे के साथ अपनी बात समाप्त की। जेएनयू के प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने कहा कि उमर ख़ालिद को क़ैद करना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि

एक सामाजिक क्षति है। उन्होंने कहा, "ग़ौरतलब है कि उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के दौरान किसी भी बड़े नेता को इतने लंबे समय तक क़ैद में नहीं रखा गया। गांधीजी को कभी भी दो साल से ज़्यादा क़ैद नहीं किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू की क़ैद की अवधि थोड़ी लंबी थी।"

उन्होंने स्पष्ट किया, "ऐसा नहीं है कि औपनिवेशिक शासक दयालु थे बल्कि उन दिनों न्यायपालिका अपेक्षाकृत कार्यपालिका से स्वतंत्र थी. अब हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां न्यायपालिका अधीन है और हमारे पास कठोर क़ानून हैं।"

उन्होंने कहा, "यूएपीए को एक कठोर क़ानून के रूप में जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकारों के ख़िलाफ़ है। यह लोकतंत्र और संविधान के ख़िलाफ़ है।"

उन्होंने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट को उमर ख़ालिद जैसे सभी मामलों का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए और इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि जो कोई भी एक साल से अधिक समय से जेल में है, उसे स्वत: ज़मानत का हक़दार होना चाहिए, भले ही यूएपीए के मामले में कुछ भी कहा गया हो।

उन्होंने आगे कहा, "अगर सुप्रीम कोर्ट इन्हें स्वत: संज्ञान लेकर मामलों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम में से कई लोग शीर्ष अदालत में अपील के लिए जाना चाहेंगे कि इसे एक नियम बनाया जाए कि मानवाधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए यूएपीए जैसे कठोर क़ानून नहीं बनाया जाना चाहिए।"

उमर के पिता और जाने-माने पत्रकार एसक्यूआर इलियास ने कहा कि, जब लोकतंत्र निरंकुशता में बदल जाता है, तो फासीवाद से भी आगे निकल जाता है, जब क़ानून के शासन को अराजकता से बदल दिया जाता है और जब असहमति एक अपराध होती है तो देश के युवाओं को आगे आना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अगर कोई जानना चाहता है कि 1000 दिनों की जेल ने हमारा मनोबल गिराया है या उमर ख़ालिद और उसके दोस्तों का भरोसा डगमगाया है, तो मैं बता दूं कि हरगिज़ ऐसा नहीं है।"

उन्होंने दावा किया कि, यूएपीए के तहत जेल का सामना कर रहे युवक जब अदालत में आए तो उन्होंने उनके चेहरों पर आत्मविश्वास और शांति देखी।

जब लोकतंत्र निरंकुशता में बदल जाता है, तो फासीवाद से भी आगे निकल जाता है, जब क़ानून के शासन को अराजकता से बदल दिया जाता है और जब असहमति एक अपराध होता है तो देश के युवाओं को आगे आना चाहिए। यदि यह साहस नई पीढ़ी में आत्मसात हो जाता है, तो जो लोग सत्ता में हैं और सोचते हैं कि उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके दिन ख़त्म हो गए हैं।

उमर के पिता ने आशा व्यक्त करे हुए कहा, "यदि यह साहस नई पीढ़ी में आत्मसात हो जाता है, तो जो लोग सत्ता में हैं और सोचते हैं कि उन्हें बेदख़ल नहीं किया जा सकता है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनके दिन ख़त्म हो गए हैं।"

उन्होंने कहा, "जब मैं उमर ख़ालिद को देखता हूं तो मुझे चिंता होती है, इसलिए नहीं कि वह मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए कि ख़ालिद सैफ़ी, गुलफ़िशा, शरजील इमाम, शिफ़ाउर रहमान जैसे और भी हैं जो मेरे बेटे और बेटियों की तरह हैं जो जेल में डाल दिए गए हैं।"

उन्होंने विस्तार से बताया, "जब यूएपीए लगाया गया तो आरोपी को यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है। इन युवाओं ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर नागरिक को रोजी-रोटी मिले, रहने की जगह मिले और न्याय मिले। लेकिन उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना में एक छोटा-सा बलिदान है।"

डॉ. इलियास ने कहा, "उमर एक सामान्य कॉलेज जाने वाला छात्र था, लेकिन जब उसे जेएनयू में प्रवेश मिला तो उसमें एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने आदिवासियों को करीब से देखा। उमर ने अपना पासपोर्ट बनवाने से मना कर दिया क्योंकि वह कहता था कि वह देश में बेज़ुबानों के लिए काम करना चाहता है। उमर ख़ालिद और कन्हैया को 2016 में जेल हुई थी लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो सका।"

उन्होंने इस पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए पूछा, "जब हमें अदालत से न्याय नहीं मिलता है, तो हम आम लोग कहां जाएंगे?"

उन्होंने कहा, "जब हमारे लोग नौकरशाही से निराश हो जाते हैं, तो वे अदालत की ओर देखते हैं, लेकिन जब अदालतें उन्हें निराश करती हैं, तो वे कहां जाएंगे?"

उन्होंने कहा कि हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और उस दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब सभी आवाज़ें ख़ामोश कर दी जाएंगी। ■■

ग़लतफ़हमियों को दूर करने पर केंद्रित होगा नया कार्यकाल

भारतीय मुसलमानों के प्रमुख धार्मिक-सामाजिक संगठनों में से एक मुस्लिम संगठन 'जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द' की चार वर्षीय (2023-2027) योजना पर बात करते हुए गत दिनों जमाअत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि आगामी चार वर्षों में संगठन की गतिविधियों का मुख्य ध्यान देश में इस्लाम के बारे में फैली ग़लतफ़हमियों को दूर करने पर केंद्रित होगा। उल्लेखनीय है कि जमाअत इस्लामी हिन्द देश का ऐसा मुस्लिम संगठन है, जिसका प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी नेटवर्क है।



उन्होंने जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के चार वर्षीय कार्यकाल के लिए उपाध्यक्षों और सचिवों सहित नवनियुक्त पदाधिकारियों की उपस्थिति में मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमाअत की आगामी योजना को साझा किया। सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी अपना पिछला कार्यकाल (2019-2023) पूरा करने के बाद आगामी चार वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं।

जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द एकमात्र भारतीय मुस्लिम धार्मिक संगठन है जहां संगठन के प्रमुख को हर चार साल के अंतराल पर देश भर से इसके सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुना जाता है।

भारत के बहुसंख्यक समुदाय में इस्लामी ज्ञान की कमी के कारण इस्लामोफोबिया के व्यापक असर को देखते हुए संगठन की नई नीति काफ़ी प्रासंगिक है। इसलिए, इस्लाम के सही संदेश और शिक्षा का प्रसार करके बहुसंख्यक समुदाय के दिमाग़ में एक सकारात्मक बदलाव लाने का विचार है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक बड़ा तबक़ा है जिसे इस्लामी ज्ञान की कमी के कारण इस्लाम के बारे में ग़लतफ़हमी है, लेकिन कुछ अन्य लोग भी हैं जो सांप्रदायिकता और विभाजनकारी राजनीति में लिप्त हैं, ज्ञान की कमी के कारण नहीं बल्कि यह उनका राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने सभी समुदायों से सामूहिक रूप से इन चुनौतियों का सामना करने की

अपील की।

इस्लाम की प्रमुख शिक्षाओं की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, "इस्लाम किसी विशेष संप्रदाय या समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि सभी मनुष्यों की भलाई, उनके सांसारिक कल्याण, भविष्य में उनके उद्धार और सभी को न्याय और निष्पक्षता प्रदान करने के लिए है।"

यह कहते हुए कि जमाअत ने अपने नए कार्यकाल के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने को महत्व दिया है, उन्होंने कहा कि, "बातचीत और चर्चा का माहौल बनाया जाना चाहिए और नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए।"

उन्होंने कहा, "बुद्धिजीवियों, धार्मिक नेताओं, आम लोगों, नागरिक समाज, युवाओं और महिलाओं के बीच मंच बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से विभिन्न धार्मिक समूहों को एक-दूसरे के क़रीब लाया जाएगा। सभी के लिए कल्याण और न्याय प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने का माहौल तैयार किया जाएगा।"

जमाअत प्रमुख ने कहा कि जातिवाद, कट्टरता, लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन, भ्रूण हत्या, दहेज, ड्रग्स और भ्रष्टाचार आदि जैसी आम बुराइयों के ख़िलाफ़ नियमित अभियान चलाया जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या जमाअत के सदस्यों ने अपनी बेटियों और बहनों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया है, हुसैनी ने कहा कि, सदस्यों से नियमित रूप से इस बारे में पूछताछ की जाती है, अगर कोई सदस्य अपनी बेटियों और बहनों का हिस्सा नहीं देता है, तो उसे इस्लामी विरासत के क़ानून का पालन करने को कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई अपनी बेटियों और बहनों का हक़ देने से इन्कार करता पाया जाता है तो उसे जमाअत से निकाल दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि जमाअत पर्यावरणीय चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। यह कहते हुए कि समुदाय के भीतर सुधारों को विशेष महत्व दिया जाएगा और उन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिन पर सुधारवादी आंदोलनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा कि, "विवाह को आसान बनाया जाना चाहिए, दहेज को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। विरासत में हिस्सा, व्यापार और वित्तीय मामलों में ईमानदारी होनी चाहिए, स्वच्छता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और मुस्लिम या ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसियों के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि, जमाअत मुसलमानों और पिछड़े समुदायों के बीच साक्षरता और शिक्षा को बढ़ाने और देश के विभिन्न हिस्सों में नए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। ■■

राज्य के अन्याय को याद करें-रवीश कुमार

जाने-माने पत्रकार रवीश कुमार ने दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में बोलते हुए कहा कि, 1000 दिनों से जेल में बंद जेएनयू के पूर्व शोध छात्र उमर ख़ालिद को भुलाया नहीं जाना चाहिए और राज्य के अन्याय को याद करने के लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए।

रवीश गत दिनों यहां दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में उमर ख़ालिद के 1000 दिनों की जेल पर आयोजित कार्यक्रम 'डेमोक्रेसी, डिसेंट एंड सेंसरशिप' नामक कार्यक्रम में बोल रहे थे। शरजील इमाम, ख़ालिद सैफ़ी और गुलफ़िशा फ़ातिमा सहित कई अन्य लोग भी इसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद हैं।

यह कहते हुए कि उमर ख़ालिद 1000 दिनों से जेल में है, उन्होंने कहा, "हमने न्यायाधीशों के बयान पढ़े कि ज़मानत एक नियम है और जेल अपवाद है, लेकिन इसे उमर ख़ालिद के मामले में लागू नहीं किया गया।" उन्होंने कहा कि, जान-बूझकर यह कोशिश की गई कि उमर ख़ालिद की लड़ाई को अदृश्य कर दिया जाए। रवीश ने आगे कहा, "लेकिन लोगों ने उनके लिए आवाज़ उठाई तो साबित हो गया कि वह अकेले नहीं हैं। जेल के अंदर उसका संघर्ष उसका है, लेकिन बाहर उसकी यातना महसूस की जा रही है।"

उन्होंने बताया कि पिछले नौ वर्षों के दौरान हिंसा का उपयोग करने की राज्य की नीति बदल गई है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पत्रकार ने कहा, "अब राज्य मानसिक हिंसा में शामिल होने के लिए अपनी पार्टी, गोदी मीडिया और आईटी सेल का उपयोग करता है। राज्य आपका नाम ख़राब करता है और यह



संगठित बदनामी उमर ख़ालिद के साथ शुरू हुई।" गोदी मीडिया, राजनीतिक दल और आईटी सेल ने पीएचडी छात्र उमर ख़ालिद को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि, "पहले राज्य क़ानून की आड़ में हिंसा करता था, लेकिन अब वह हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए क़ानून बना रहा है, ताकि वह खुलेआम हिंसा कर सके। हम सभी इस बदलाव को देख रहे हैं और यह केवल उमर ख़ालिद ही नहीं बल्कि सोमा सेन भी हैं जो भीमा कोरेगांव मामले में पांच साल से विचाराधीन हैं।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उमर को याद करने का मतलब उन सभी को याद करना है, जिन्हें भीमा कोरेगांव मामले में सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। उन्होंने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि रोना विल्सन और सोमा सेन को याद नहीं किया जाता है।

उन्होंने कहा कि, उमर ख़ालिद की जो तस्वीरें या वीडियो सामने आती हैं, उनमें उन्हें एक मुस्कुराता हुआ लड़का नज़र आता है, लेकिन उस मुस्कान ने मुझे उदास किया है। रवीश ने बेतवा शर्मा की दिल्ली दंगों की रिपोर्ट पर चर्चा की। उन्होंने कहा, "बेतवा ने अदालत में दिल्ली पुलिस की दलीलों में विसंगतियों को उजागर किया है। हम सभी को रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और पत्रकारिता सीखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "उमर ख़ालिद को याद करके हम विल्सन और सोमा को याद करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने स्टैन स्वामी को भी याद किया जो संघर्ष करते हुए मर गए।

उन्होंने दावा किया कि सरकार ने जनभावनाओं की परवाह करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा, "स्टैन स्वामी के निधन के बाद भी इसमें कुछ नहीं बदला। इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, यही इस सरकार की पहचान है। उन टीवी एंकरों का कुछ नहीं होता जो दिन रात नफ़रत फैलाते हैं, लेकिन एक छात्र को दंगे के मामले में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "हमें इस अंतर को पहचानना होगा कि कुछ लोगों को नफ़रत फैलाने, गोली मारो....जैसे नारे लगाने की आज़ादी मिली है, लेकिन शांति की अपील करने वाले को जेल में बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, "जेल में ये 1000 दिन न केवल उमर ख़ालिद के हैं, बल्कि भारत के नागरिक समाज और न्यायिक प्रणाली के लिए बहुत दुखद और परेशान करने वाली बात है।

रवीश ने कहा, "प्रेस क्लब की यह बैठक आश्वस्त करती है कि राज्य में बेशक बहुत ताक़त है, लेकिन आप में भी संकल्प कम नहीं है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि एक दिन न्याय व्यवस्था की अंतरात्मा जागे और यह महसूस करे कि क़ानून का हाथ लंबा नहीं बल्कि रंगा हुआ है। ■■



सांसों के फूलने को न करें नज़रअंदाज़

सेहत

संपादन प्रभाग

◆ सांस से जुड़ी समस्याओं को हम अक्सर फेफड़ों से ही जोड़कर देखते हैं, जबकि यह फेफड़ों के अलावा दिल से जुड़ा मामला भी हो सकता है। बिना मेहनत के यानी बिना दौड़ लगाए या एक्सरसाइज किये सांस फूले तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। यह शरीर में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है।

सांस का फूलना यह बताता है कि शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है और फेफड़े पर अनावश्यक दबाव है। कई बार जब दिल अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाता तो शरीर के अंगों को पर्याप्त मात्रा में ख़ून की सप्लाई नहीं हो पाती। इससे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन कम मिलती है। इससे हमें तेज़ी से और ज़ोर लगाकर सांस लेनी पड़ती है, जिससे सांस फूलने लगती है।

इसके अलावा ज़्यादातर समस्याएं सीधे फेफड़ों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में अगर समय रहते सांस फूलने पर कंट्रोल नहीं किया गया तो परिणाम घातक हो सकते हैं। सांस फूलने को रोकने के दो ही उपाय हैं या तो शरीर की ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए बाहर से अतिरिक्त ऑक्सीजन दी जाए या फिर शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग को कम किया जाए।

हीमोग्लोबिन की कमी भी कारण

सांस फूलने के दो मुख्य कारण- मोटापा व शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी यानी एनीमिया की स्थिति है। अगर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होगी।

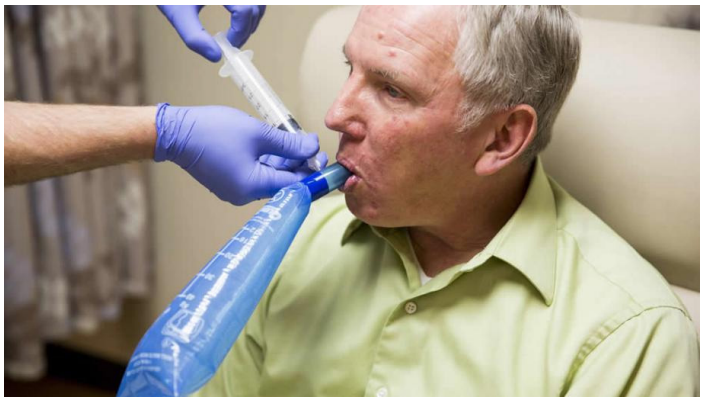
मोटापे पर नियंत्रण रखना ज़रूरी

सांस फूलने की समस्या से निजात पाने के लिए मोटापे पर नियंत्रण रखना बेहद लाभकारी है। इसलिए आराम तलब दिनचर्या का त्याग करें और

नियमित प्रातःकालीन सैर व व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। चर्बी युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज़ करें।

फेफड़े के विविध रोग बड़ी वजह

फेफड़े का इंफेक्शन-न्यूमोनिया व टीबी अपने देश में सांस फूलने का एक बहुत बड़ा कारण है। श्वास नली व उनकी शाखाओं की दीवारों में सूजन भी एक कारण है, जिसे मेडिकल भाषा में एस्थमैटिक ब्रॉन्काइटिस कहते हैं। कभी-कभी श्वास नली पर किसी गिल्टी या छाती के अंदर स्थित ट्यूमर का दबाव भी सांस फूलने का कारण हो सकता है। अक्सर दुर्घटना में छाती के चोट का सही इलाज न होने पर, छाती के अंदर ख़ून या मवाद जमा हो जाता है और फेफड़े पर दबाव बनाता है, जिससे अक्सर सांस फूलने के साथ-साथ खांसी की भी शिकायत रहती है।



स्केलोडरमा : यह बीमारी फेफड़े को भी आहत करती है। इसमें फेफड़े की अंदरूनी दीवारों में अस्वाभाविक बदलाव आते हैं, जिससे फेफड़े की वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता गिर जाती है।

सांस फूलने की समस्या हो तो क्या करें?

समस्या होने पर ऐसे अस्पतालों में जाएं, जहां आवश्यक जांचों की सुविधा हो। जांचों के बाद अगर मालूम हो कि सांस फूलने का कारण फेफड़ा है, तो किसी छाती रोग विशेषज्ञ व थोरेसिक सर्जन दोनों से सलाह लें। अगर फेफड़ा क्षतिग्रस्त है, तो सर्जरी करवाने में देरी व टाल-मटोल न करें, क्योंकि लापरवाही दूसरी ओर के नॉर्मल फेफड़े को भी चौपट कर देगी। अगर सांस फूलना दिल की वजह से है, तो किसी हृदय रोग विशेषज्ञ या कार्डियक सर्जन से परामर्श लें। अगर गुर्दे का रोल सांस फूलने में है, तो किडनी विशेषज्ञ की राय भी लेनी पड़ती है।

इन जांचों से चलेगा सही स्थिति का पता

ऐसी तो अनगिनत जांचें हैं, पर कुछ अत्यंत आवश्यक जांचें सांस फूलने के कारण को समझने व उसके इलाज की दिशा निर्धारण के लिए ज़रूरी हैं। छाती का एक्स-रे, छाती का एचआरसीटी, पीएफटी, दिल के लिए डीएसई (डोब्यूटामीन स्ट्रेस ईको), ख़ून की जांचें, जैसे-विटामिन-डी की मात्रा व ब्लड गैस एनालिसिस। कभी-कभी सीटी कोरेनरी व पल्मोनरी एंजियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ सकती है।

दिल के कौन-से रोग हैं ज़िम्मेदार?

• अगर आपके दिल की दीवार कमज़ोर है। यानी कभी हार्ट अटैक के दौरान दिल की दीवार का कोई हिस्सा बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, तो ऐसा कमज़ोर दिल, ख़ून व पानी का साधारण लोड भी नहीं उठा पाता है और सांस फूलने का कारण बन जाता है। ऊपर से अगर मोटापा भी साथ है, तो स्थिति और भी कष्टकारी हो जाती है।

• दायीं तरफ़ का दिल का हिस्सा डी ऑक्सीजीनेटेड ब्लड का स्टोर हाउस है, जो धड़कन के साथ शरीर के अंगों से आये हुए ख़ून को फेफड़े की तरफ़ शुद्धीकरण के लिए अग्रसर करता है। फिर यह ख़ून शुद्धी होने के बाद दिल के बायें हिस्से में इकट्ठा होता है और धड़कन के साथ शरीर के अंगों में प्रवाहित होता है। यह क्रिया बराबर चलती रहती है। अगर किसी वजह से वॉल्व प्रत्येक धड़कन के साथ न ठीक से पूरे बंद हों, न ही ठीक से खुलें तो दिल व फेफड़े में संतुलन बिगड़ने के कारण अनावश्यक दबाव पड़ने लगता है। इससे भी सांस फूलने लगती हैं।

• अगर किसी को जन्म से दिल की बीमारी है और दिल में शुद्ध व अशुद्ध ख़ून का समिश्रण होता रहता है, तो इससे भी सांस फूलने लगती है।

इन बातों का रखें ख़याल

• अगर आप रोज़ एक घंटे नियमित टहलते हैं और धूप का सेवन करते हैं और धूल-धक्कड़ से दूर रहते हैं, तो यक़ीन मानिये आप सांस फूलने की समस्या से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे।

• मोटापा किसी भी हालत में न पनपने दें। रोज़ 350 ग्राम सलाद व 350 ग्राम फलों का सेवन करें।

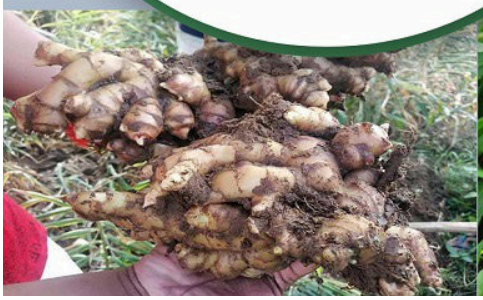
• प्रोटीन भरपूर मात्रा में लें। हरी पत्तेदार सब्ज़ियों का नियमित सेवन करें।

• किसी तरह के धूम्रपान व तंबाकू के सेवन से बचें। शराब को हाथ न लगाएं।

उपरोक्त उपायों को ध्यान में रखा जाए तो सांस फूलने की समस्या को क़ाबू में किया जा सकता है। ■■

अदरक : मुनाफ़े की खेती





करियर



संपादन प्रभाग

सोच-समझकर और योजनाबद्ध ढंग से किया गया बिजनेस आपको कम समय में अधिक मुनाफ़ा दे सकता है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं। ऐसे में उसके सफल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसी तरह का एक विजनेस है, अदरक की खेती। अदरक का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। ख़ासकर सर्दियों के सीजन में अदरक की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पारंपरिक फ़सलों से किसानों को अब मुनाफ़ा हासिल नहीं हो रहा है। इसी वजह से ज़्यादातर किसान अब कम समय में ज़्यादा मुनाफ़ा देने वाली फ़सलों की तरफ़ रुख़ कर रहे हैं। अदरक भी उन्हीं फ़सलों में से एक है। चाय से लेकर सब्ज़ी, अचार तक में अदरक का इस्तेमाल होता है। अदरक का इस्तेमाल मसाला बनाने के लिए भी किया जाता है। यही नहीं इससे सोंठ भी बनाई जाती है, जो कि बाज़ारों में अदरक से ज़्यादा क़ीमतों पर बिकती है। सालभर इसकी मांग बनी रहती है। ऐसे में कई किसान इसकी खेती से अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। यदि आप भी अदरक की खेती करके उसको बाज़ारों में अच्छी क़ीमतों पर बेचते हैं, तो इससे आप शानदार कमाई कर सकते हैं।

कैसे करें अदरक की खेती?

बारिश का मौसम शुरू होने से पहले या शुरू होते ही अदरक की बुआई की जाती है। अदरक की खेती का सबसे सही समय जुलाई-अगस्त का होता है। पहले खेत को दो से तीन बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाना ज़रूरी है। खेत में भरपूर मात्रा में गोबर की खाद या

वर्मी कंपोस्ट डालनी ज़रूरी है। अदरक की खेती में इस बात का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि जहां इसकी खेती की जा रही हो उस खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए।

एक हेक्टेयर में अदरक की खेती के लिए आपको क़रीब 2.5 से 3 टन तक बीजों की ज़रूरत होगी। अदरक की खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करें। इससे सिंचाई करना आसान होता है और फ़सल को ड्रिप के साथ उर्वरक भी मिलाकर आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

अदरक की खेती के लिए ये परिस्थितियां हैं ज़रूरी

पपीता और दूसरे बड़े पेड़ों के बीच इसका फ़सलीकरण किया जा सकता है। इसकी खेती के लिए 6-7 पीएच वाली ज़मीन उपयुक्त है। एक हेक्टेयर में बुवाई के लिए 2 से 3 क्विंटल तक अदरक के बीज की ज़रूरत पड़ती है। बुवाई बाद हल्की मिट्टी या गोबर की खाद से इसके बीज को ढक दें। ध्यान दें जिस खेत में इसकी बुवाई हो रही है, वहां जलनिकासी की व्यवस्था सही होनी चाहिए। अदरक बोने के लिए अदरक की पिछली फ़सल के कंद भी उपयोग में लाए जाते हैं। बड़े-बड़े अदरक के पंजों को इस तरह तोड़ लेते हैं कि एक टुकड़े में दो से तीन अंकुर रहे।

अदरक की खेती बलुई दोमट जिसमें अधिक मात्रा में जीवांश या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो वो भूमि सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। मृदा का पी.एस. मान 5-6 ये 6.5 अच्छे जल निकास वाली भूमि सबसे अच्छी अदरक की अधिक उपज के लिए रहती हैं। एक ही भूमि पर बार-बार फ़सल लेने से भूमि जनित रोग एवं कीटों में वृद्धि होती हैं। इसलिये फ़सल चक्र अपनाना चाहिये।

अदरक की खेती गर्म और आर्द्रता वाले स्थानों में की जाती है। मध्यम वर्षा बुवाई के समय अदरक की गांठों (राइजोम) के ज़माने के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद थोड़ा ज़्यादा वर्षा पौधों को वृद्धि के लिए तथा इसकी खुदाई के एक माह पूर्व सूखे मौसम की आवश्यकता होती हैं। अगेती बुवाई या रोपण अदरक की सफल खेती के लिये अतिआवश्यक है। 1500-1800 मि.मी। वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती अच्छी उपज के साथ की जा सकती हैं। परन्तु उचित जल निकास रहित स्थानों



पर खेती को भारी नुक़सान होता है। औसत तापमान 25 डिग्री सेन्टीग्रेड, गर्मियों में 35 डिग्रीसेन्टीग्रेड तापमान वाले स्थानों पर इसकी खेती बागों में अन्तरवर्तीय फ़सल के रूप मे की जा सकती हैं।

इस समय करें हार्वेस्टिंग

आमतौर पर ज़्यादातर फ़सलें ऐसी होती हैं, जिन्हें एक तय समय के बाद हार्वेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अदरक की खेती में एक बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि, अदरक की फ़सल 9-10 महीने में पहली बार हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इसे कब हार्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको बाज़ार में अच्छे दाम न मिले तो आप अपनी फ़सल को लंबे समय तक भी खेत में छोड़ सकते हैं।

18 महीने तक हार्वेस्टिंग ज़रूरी नहीं

अधिकतर फ़सलों के साथ ये दिक़्क़त होती है कि जब वह तैयार हो जाती हैं तो उनकी हार्वेस्टिंग ज़रूरी होती है। अदरक के साथ ऐसा नहीं है। अदरक की फ़सल लगभग 9 महीने में तैयार हो जाती है। अगर आपको लगे कि बाज़ार में दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप फ़सल को न उखाड़ें। अदरक को 18 महीनों तक ज़मीन में छोड़ा जा सकता है। ऐसे में जब आपको बाज़ार में अच्छे दाम मिले तब आप अपनी फ़सल हार्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको तगड़ा मुनाफ़ा होना तय है।

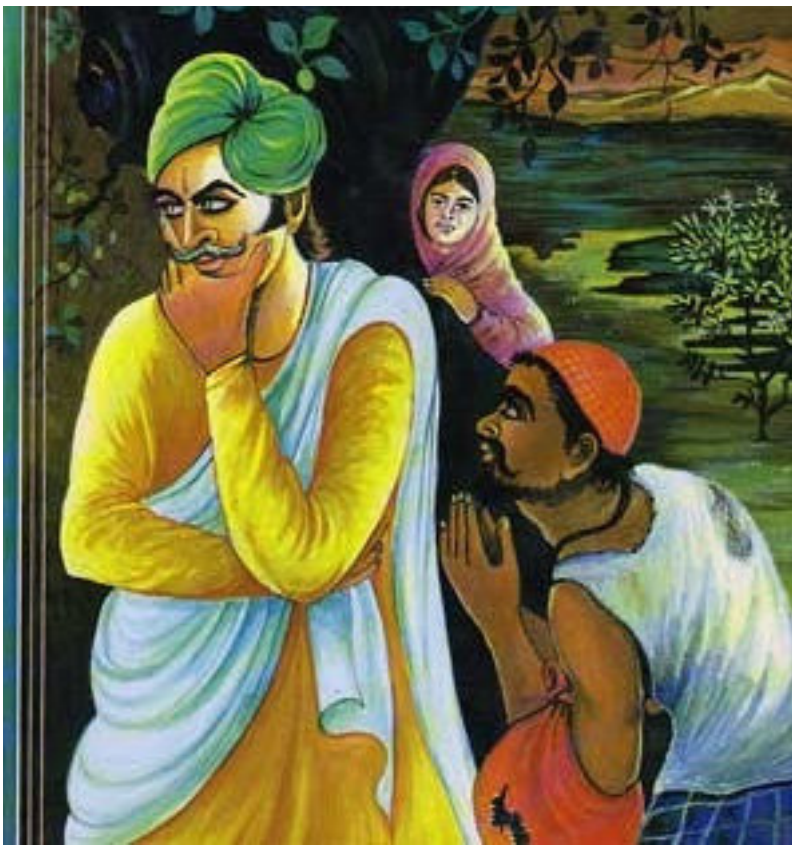
आमदनी

अदरक की खेती में एक हेक्टेयर में आपकी लागत 8-10 लाख रुपये तक आ सकती है। वहीं, इससे लगभग 50 टन तक पैदावार निकलती है। मार्केट में अदरक का दाम 80-100 रुपये किलो तक हो जाता है। अगर अदरक की औसत क़ीमत 40 से 50 रुपये किलो हो, तब भी आप 50 टन अदरक से 20-25 लाख रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। अगर उत्पादन लागत निकाल दी जाए तो आपको एक हेक्टेयर से ही 10-15 लाख रुपये तक का मोटा मुनाफ़ा मिल सकता है। अदरक का इस्तेमाल कई दवाओं को बनाने में किया जाता है, ऐसे में अगर आप किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके जिंजर फार्मिंग करते हैं तो इससे और भी ज़्यादा मुनाफ़ा कमाएंगे। साथ ही आपको फ़सल बेचने के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा।

■■

कहानी

शरणागत



वृंदावनलाल वर्मा

रज्जब क़साई अपना रोज़गार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी, और गांठ में दो सौ-तीन सौ की बड़ी रक़म। मार्ग बीहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफ़ी दूर था, बसेरा कहीं न कहीं लेना ही था; इसलिए उसने मड़पुरा-नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुख़ार हो आया था, रक़म पास में थी, और बैलगाड़ी किराए पर करने में ख़र्च ज़्यादा पड़ता, इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा।

परंतु ठहरता कहां? जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी, और पैजामा पहने थी। इसके सिवा गांव के बहुत-से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव के बहुत-से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर ख़रीद कर ले जा चुका था।

अपने व्यवहारियों से उसने रात-भर के बसेरे के लायक़ स्थान की याचना की। किसी ने भी मंज़ूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग-अलग और लुके-छिपे बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह-तरह की ख़बरें फैलतीं, इसलिए सबों ने इन्कार कर दिया।

गांव में एक ग़रीब ठाकुर रहता था। थोड़ी-सी ज़मीन थी, जिसको किसान जोते हुए थे। जिसका हल-बैल कुछ भी न था। लेकिन अपने किसानों से दो-तीन साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा-सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदरव्यंजक शब्द से पुकारा करते थे, और ठाकुर को डर के मारे 'राजा' शब्द संबोधन करते थे।

शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाज़े पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा।

ठाकुर पौर में बैठा हुक्का हुक़्क़ा पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा-"दाऊजू, एक बिनती है।"

ठाकुर ने बिना एक रत्ती-भर इधर-उधर हिले-डुले पूछा-"क्या?"

रज्जब बोला-"मैं दूर से आ रहा हूं। बहुत थका हुआ हूं। मेरी औरत को ज़ोर से बुख़ार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात-भर के लिए कहीं दो हाथ

जगह दे दी जाए।"

"कौन लोग हो?" ठाकुर ने प्रश्न किया।

"हूं तो क़साई।" रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी।

ठाकुर की बड़ी-बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला-"जानता है यह किसका घर है? यहां तक आने की हिम्मत कैसे की तूने?"

रज्जब ने आशा-भरे स्वर में कहा-"यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हुआ हूं।"

तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता ग़ायब हो गई। ज़रा नरम स्वर में बोला-"किसी ने तुम को बसेरा नहीं दिया है।"

"नहीं महाराज", रज्जब ने उत्तर दिया-"बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ।" और वह दरवाज़े के बाहर ही, एक कोने से चिपटकर, बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती, कांपती हुई गठरी-सी बनकर सिमट गई!

ठाकुर ने कहा-"तुम अपनी चिलम लिए हो?"

"हां, सरकार!" रज्जब ने उत्तर दिया।

ठाकुर बोला-"तब भीतर आ जाओ, और तमाखू अपनी चिलम से पी लो। अपनी औरत को भीतर कर लो। हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना।"

जब वे दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा-"तुम कब यहां से उठकर चले जाओगे?" जवाब मिला-"अंधेरे में ही महाराज! खाने के लिए रोटियां बांधे हैं, इसलिए पकाने की ज़रूरत न पड़ेगी।"

"तुम्हारा नाम?"

"रज्जब।"

थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा-"कहां से आ रहे हो।" रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया।

"वहां किस लिए गए थे?"

"अपने रोज़गार के लिए।"

"काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है।'

"क्या करूं, पेट के लिए करना ही पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोज़गार नियत किया है, वही उसको करना पड़ता है।"

"क्या नफ़ा हुआ?' प्रश्न करने में ठाकुर को ज़रा संकोच हुआ, और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर।

रज्जब ने जवाब दिया-"महाराज, पेट के लायक़ कुछ मिल गया है। यूं ही।" ठाकुर ने इस पर कोई ज़िद नहीं की।

रज्जब एक क्षण बाद बोला-"बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा। तब तक घर के लोगों की तबियत भी अच्छी हो जाएगी।"

इसके बाद दिन-भर के थके हुए पति-पत्नी सो गये। काफ़ी रात गए कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी-सी रज़ाई ओढ़े ठाकुर बाहर निकल आया।

आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा-"दाऊजू, आज तो ख़ाली हाथ लौटे हैं। कल संध्या का सगुन बैठा है।"

ठाकुर ने कहा-"आज ज़रूरत थी। ख़ैर, कल देखा जाएगा।"

"क्या कोई उपाय किया था?"

"हां" आगंतुक बोला-"एक क़साई रुपये की मोट बांधे इसी ओर आया है। परंतु हम लोग ज़रा देर में पहुंचे। वह खिसक गया। कल देखेंगे। ज़रा जल्दी।"

ठाकुर ने घृणा-सूचक स्वर में कहा-"क़साई का पैसा न छुएंगे।"

"क्यों?"

"बुरी कमाई है।"

"उसके रुपयों पर क़साई थोड़े ही लिखा है।"

"परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है।"

"रुपया तो दूसरों का ही है। क़साई के हाथ आने से रुपया क़साई नहीं हुआ।"

"मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है।"

"हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे।"

ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा, क़साई सो रहा था, और उसकी पत्नी भी।

ठाकुर भी सो गया।

सवेरा हो गया, परंतु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुख़ार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर-भर में पीड़ा थी, और वह एक क़दम भी नहीं चल सकती थी।

ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। रज्जब से बोला-"मैंने ख़ूब मेहमान इकट्ठे किए हैं। गांव-भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह-तरह की बकवास करेगा। तुम बाहर जाओ। इसी समय।"

रज्जब ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव-भर उसके दबदबे को मानता था, परंतु अन्य लोकमत दबदबा उसके भी मन पर था। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नीक एक पेड़ के नीचे जा बैठा, और हिंदू-मात्र को मन-ही-मन कोसने लगा।

उसे आशा थी कि पहर आध-पहर में उसकी पत्नी की तबियत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सकेगी। परंतु ऐसा न हुआ, तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय

किया।

मुश्किल से एक चमार काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राज़ी हुआ। इतने में दुपहर हो गई! उसकी पत्नी को ज़ोर का बुख़ार हो आया। वह जाड़े के मारे थर-थर कांप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम-से-कम कंपकंपी बंद न हो जाए।



घंटे-डेढ-घंटे बाद उसकी कंपकंपी तो बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज़ हो गया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा।

गाड़ीवान बोला-"दिन-भर तो यही लगा दिया। अब जल्दी चलने को कहते हो!"

रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला-"इतने किराए में काम नहीं चलेगा। अपना रुपया वापस लो। मैं तो घर जाता हूं।"

रज्जब ने दांत पीसे। कुछ क्षण चुप रहा। सचेत होकर कहने लगा-"भाई, आफ़त सबके ऊपर आती है। मनुष्य मनुष्य को सहारा, देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल-बच्चे हैं। कुछ दया के साथ काम लो।"

क़साई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई।

उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी हांकी।

पांच-छः मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे-धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुख़ार में बेहोश-सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रक़म सुरक्षित बंधी पड़ी थी।

रज्जब को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुख़ार के कारण अंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है—और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह हठ, जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही दे देने पड़े थे। उसको गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा न थी।

बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया-"गांव तो यहां से दूर मिलेगा।"

"बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे।"

"किसके यहां?"

"किसी के यहां भी नहीं। पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे।"

"कल को फिर पैसा मांग उठना।"

"कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हैं। अब फिर कैसे मांगूंगा? "

"जैसे आज गांव में हठ करके मांगा था। बेटा, ललितपुर होता, तो बतला देता!"

"क्या बतला देते? क्या सेंत-मेंत गाड़ी में बैठना चाहते थे?"

'क्यों बे, क्या रुपये देकर भी सेंत-मेंत का बैठना कहाता है?" जानता है, मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा, तो नालायक़ को यहीं छुरे से काटकर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा।"

रज्जब क्रोध को प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया।

गाड़ीवान ने इधर-उधर देखा। अंधेरा हो गया था। चारों ओर सुनसान था। आस-पास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था, कहीं से कोई अब निकला और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा, मानों पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो।

गाड़ीवान चुपचाप बैल को हांकने लगा। उसने सोचा—गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा, और हल्ला-गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुडाऊंगा। रुपये -पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे न जाऊंगा। कहीं सचमुच मार्ग में मार डाले!

गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी

कि बैल ठिठककर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए ज़रा कड़ककर गाड़ीवान से बोला-"क्यों बे बदमाश, सो गया क्या?"

अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला..."ख़बरदार, जो आगे बढ़ा।"

रज्जब ने सामने देखा कि चार-पांच आदमी बड़े-बड़े लठ बांधकर न जाने कहां से आ गए हैं। उनमें तुरंत ही एक ने बैलों की जुआरी पर एक लठ पटका और दो दाएं-बाएं आकर रज्जब पर



आक्रमण करने को तैयार हो गए।

गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ। बोला..."मालिक मैं तो गाड़ीवान हूं। मुझ से कोई सरोकार नहीं।"

"यह कौन है?" एक ने गरजकर पूछा।

गाड़ीवान की घिग्घी बंध गई। कोई उत्तर न दे सका।

रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बहुत ही विनम्न स्वर में कहा-"मैं बहुत ग़रीब आदमी हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है। मुझे जाने दीजिए।"

उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसको पकड़ लिया।

अब उसका मुंह खुला। बोला-"महाराज, मुझको छोड़ दो। मैं तो किराए से गाड़ी लिए जा रहा हूं। गांठ में खाने के लिए तीन-चार आने पैसे ही हैं।"

"और यह कौन है? बतला।" उन लोगों में से एक ने पूछा।

गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया-"ललितपुर का एक क़साई।

रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी, वह वहीं रह गई। लाठीवाले के मुंह से निकला-"तुम क़साई हो? सच बताओ!"

"हां, महाराज!' रज्जब ने सहसा उत्तर दिया-"मैं बहुत ग़रीब हैं। हाथ जोड़ता हूं मुझको मत सताओ। मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत ज़ोर से कराही।

लाठीवाले उस आदमी ने अपने एक साथी से कान में कहा-"इसका नाम रज्जब है। छोड़ो। चलें यहां से।"

उसने न माना। बोला-"इसका खोपड़ा चकनाचूर करो दाऊजू, यदि वैसे न माने तो। असाई-क़साई हम कुछ नहीं मानते।"

"छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा-"इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और न इसका पैसा छुएंगे।"

दूसरा वोला-"क्या क़साई होने के डर से दाऊजू, आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। मैं देखता हूं।" और उसने तुरंत लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर तुरंत रुपया-पैसा निकाल देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने ज़रा तीव्र स्वर में कहा-"नीचे उतर आओ। उससे मत बोलो। उसकी औरत बीमार है।"

"हो, मेरी बला से", गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया-"मैं क़साइयों की दवा हूं।" और उसने रज्जब को फिर धमकी दी।

नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा-"ख़बरदार, जो उसे छुआ। नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चकनाचूर किए देता हूं। वह मेरी शरण आया था।"

गाड़ीवान लठैत झख-सी मारकर नीचे उतर आया।

नीचे वाले व्यक्ति ने कहा-"सब लोग अपने-अपने घर जाओ। राहगीरों को तंग मत करो।" फिर गाड़ीवान से बोला-"जा रे, हांक ले जा गाड़ी। ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना। नहीं तो अपनी ख़ैर मत समझियो। और, तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस बात की चर्चा कहीं की, तो भूसी की आग में जलाकर ख़ाक कर दूंगा।"

गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा-"दाऊजू, आगे से कभी आपके साथ न आऊंगा।"

दाऊजू ने कहा-"न आना। मैं अकेले ही बहुत कर गुज़रता हूं। परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना।"

■■

आख़िरी पन्ना



संपादन प्रभाग

महान उपहार

आजकल इस्लाम मुसलमानों का एक जातीय धर्म बनकर रह गया है, मुहम्मद (सल्ल.) को मुसलमानों का एक जातीय लीडर और पेशवा समझ लिया है और क़ुरआन को केवल मुसलमानों के एक पवित्र ग्रंथ की हैसियत दे दी गई है। इस भ्रान्ति का परिणाम यह है कि ग़ैर-मुस्लिमों के मन में इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध चेतन या अचेतन रूप में एक जातीय और धार्मिक पक्षपात बैठ चुका है। एक ग़ैर-मुस्लिम एक तो क़ुरआन मजीद की शिक्षा से परिचय प्राप्त करने का कष्ट ही नहीं करता और यदि वह कभी इसके लिए तैयार भी होता है तो एक अपरिचितता और परायेपन का आवरण उसके नेत्रों के समक्ष बाधक बन जाता है और यदि वह उसकी ओर हाथ बढ़ाता है तो यह समझता है कि वह अपनी नहीं किसी पराई पुस्तक की ओर हाथ बढ़ा रहा है।



परन्तु वास्तविकता सर्वथा इसके प्रतिकूल है। क़ुरआन जगत के पालनहार ईश्वर की ओर से सम्पूर्ण मानवजाति को प्रदान किया गया एक महान उपहार है। इसी लिए क़ुरआन मानवजाति की एक संयुक्त आध्यात्मिक संम्पत्ति है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल, वायु और प्रकाश प्रत्येक जन के लिए संयुक्त भौतिक पूंजी है। एक ग़ैर-मुस्लिम श्रद्धा भाव से न सही, केवल न्याय एवं सत्यवादिता की दृष्टि से, यदि क़ुरआन का अध्ययन कर लें तो वह उसकी व्यापक, सार्वकालिक, अनादिकालिक और सार्वभौमिक शिक्षा का अन्दाज़ा बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ■■

“मुस्लिम वह है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से मुसलमान सुरक्षित रहें। और मुहाजिर (वास्तव में) वह है जो उन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने रोका है।”

(हदीस : बुख़ारी)

A Well Wisher

Neyaz Ahmad Trust

KANTI Monthly, New Delhi
JULY 2023
Posted on 20-21 June 2023
Published on 18 June 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52



"ये लोग अल्लाह के
सिवा उनको पूज रहे हैं जो इनको
न हानि पहुंचा सकते हैं न लाभ,
और कहते यह हैं कि ये अल्लाह के यहां
हमारे सिफ़ारिशी हैं।
ऐ नबी, इनसे कहो,
'क्या तुम अल्लाह को उस बात की ख़बर देते हो
जिसे न वह आसमानों में जानता है और न ज़मीन में?'
पाक है वह और उच्च है उस शिर्क से
जो ये लोग करते हैं।"
(कुरआन, 10:18)

A Well Wisher

Nightingal Publisher, Hyderabad